

NOTICE

DIRECT RECRUITMENT FOR THE POST OF HEAD CONSTABLE(MINISTERIAL) IN DELHI POLICE EXAMINATION, 2019

ONLINE REGISTRATION OPENING DATE: 14.10.2019
ONLINE REGISTRATION CLOSING DATE: 13.11.2019
Official website: www.delhipolice.nic.in

Online applications are invited from Male and Female Indian citizens for filling up the following vacancies for the post of temporary Head Constable (Ministerial) (Group 'C') in Delhi Police in Level-4 in pay matrix (₹25500-81100) plus usual and admissible allowances to the Central Government Employees from time to time. They will be governed under Delhi Police Act and Central Civil Services Rules applicable to other members of the force and other Acts and Rules applicable from time to time. On appointment they shall be entitled for the pension benefits as per the "New Restructured Defined Contributory Pension Scheme" applicable for the new entrants to the Central Government Services with effect from 01.01.2004:-

Name of Post		No. of Vacancies*						Pay Matrix Level
		GEN./UR	EWS	OBC	SC	ST	Total	r uy mumx zoro.
Head Constable	Male	140	37	86	56	53	372	Pay Matrix Level-4
(Ministerial) Femal		69	18	42	27	26	182	(₹ 25500-81100)
TOTAL		209	55	128	83	79	554	,

*The number of vacancies is indicative and may undergo change anytime before declaration of final result.

Note:-

- I. 10% vacancies are reserved for Ex-Servicemen (Ex-SM) as per Govt. of India's instructions. The personnel of Central Para Military Forces are not eligible to apply under Ex-Servicemen category.
- II. 03% vacancies are reserved for Persons with Disabilities (PwD) [locomotor disability of 40% and above (either one or both leg affected)]. Their post will be civilian in nature and they will not wear uniform of Delhi Police.
- III. Abbreviations used are UR-Un-Reserved, EWS-Economically Weaker Section, OBC-Other Backward Class, SC-Scheduled Caste, ST-Scheduled Tribe and PwD-Persons with Disabilities.

 $Candidates from \, all \, parts \, of \, the \, country \, fulfilling \, the \, following \, conditions \, can \, apply:-- \, (a) \, (b) \, (c) \, (c)$

- (1) **Age as on 01.07.2019:-** 18 to 25 years for UR/EWS candidates, relaxable for following category of candidates upto the age of:-
 - ➤ OBC-28 years.
 - > SC/ST-30 years.
 - ${\color{red}\succ} \ \ Persons with \ Disabilities:-35 \ years for \ UR/EWS \ (38 \ years for \ OBC \ and \ 40 \ years for \ SC/ST).$
 - Widow/Divorced Women/Judicially separated women who are not re-married:- 35 years for UR/EWS (38 years for OBC and 40 years for SC/ST).
 - > Sportsmen/Sportswomen:- 30 years for UR/OBC/EWS (35 years for SC/ST) who have represented State at the National level and country at the International level.
 - ➤ Departmental candidate of Delhi Police:- 40 years for UR/EWS (43 years for OBC and 45 years for SC/ST) who have rendered 03 years regular and continuous service in Delhi Police.
 - For Ex-Servicemen, as per rules.
- (2) **Educational Qualification:-** 10+2 (Senior Secondary) pass from a recognized Board.
- $(3) \quad \textbf{Professional Requirement:-}$

Speed in English Typing - 30 w.p.m. *Or* Speed in Hindi Typing - 25 w.p.m.

CAUTION

- (i) Furnishing of false information or suppression of any factual information in the application form would be a disqualification for the post.
- (ii) In the event of any forgery/falsification of any document(s) being detected at any stage, besides cancellation of candidature, a criminal case will also be registered against the candidate as per law.

APPLICATION FORMS:- Only those Applications which are successfully filled through the Website **www.delhipolice.nic.in** shall be accepted. Application forms sent in any other format shall be rejected.

Fee:- The application fee would be Rs. 100/- (only online). SC/ST/Ex-Servicemen/Persons with Disabilities (PwD) and women candidates are exempted from payment of fee.

Candidates should go through the Recruitment Notice carefully before applying for the post and ensure that they fulfill all the eligibility conditions like Age-Limit/ Essential Qualifications(EQs)/ etc. as indicated above. Candidature of candidates not meeting the eligibility conditions will be cancelled at any stage of the recruitment process without any notice. Candidature of Applicants shall be purely provisional at all stages of the recruitment process.

For details, the applicants are requested to go through the detailed advertisement appearing in the Employment News/Rozgar Samachar dated 12.10.2019 and Delhi Police website: www.delhipolice.nic.in. It contains category-wise number of vacancies, eligibility conditions, procedure of filling the form, terms & conditions as well as information regarding various tests like Computer Based Examination, Physical Endurance & Measurement Tests (PE&MT), Typing Test on Computer and Computer (Formatting) Test etc. as prescribed for the post. Applicants should understand all the information and instructions carefully before applying for the post.

(M.I. HAIDER)

DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE, ESTABLISHMENT, DELHI

DP/9147/19 12x31 = 372.0 sq.cm.



दिल्ली पुलिस

सूचना दिल्ली पुलिस में प्रधान सिपाही (लिपिकीय) पद के लिए सीधी भर्ती परीक्षा, 2019

ऑनलाईन पंजीकरण खुलने की तिथिः 14.10.2019 ऑनलाईन पंजीकरण की अंतिम तिथिः 13.11.2019 आधिकारिक वेबसाइट: www.delhipolice.nic.in

दिल्ली पुलिस में वेतन मैट्रिक्स लेवल—4 में (₹25500—81100) तथा समय—समय पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय और लागू भत्तों के साथ अस्थाई प्रधान सिपाही (लिपिकीय) (समूह 'ग') पद के लिए निम्नलिखित रिक्तियां भरने हेतु पुरूष और महिला भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन—पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। वे दिल्ली पुलिस अधिनियम और बल के अन्य सदस्यों के लिये लागू केंद्रीय सिविल सेवाएं नियम तथा समय—समय पर लागू नियमों द्वारा शासित होंगे। नियुक्ति होने पर वे 01.01.2004 से केंद्रीय सरकार की सेवाओं में आने वाले नए व्यक्तियों के लिए लागू "नई पुनर्गठित परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना" के अनुसार पेंशन के हकदार होंगे:—

पद का नाम		रिक्तियों की संख्या*						वेतन मैट्रिक्स लेवल
		सामा./अना.	ईडब्ल्यूएस	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	ada aixad elae
प्रधान सिपाही	पुरूष	140	37	86	56	53	372	, ,,,
(लिपिकीय)	महिला	69	18	42	27	26	182	वेतन मैट्रिक्स लेवल—4 (₹25500—81100)
कुल	1	209	55	128	83	79	554	(123300 81100)

*रिक्तियों की संख्या निर्देशात्मक है जिसमें अंतिम परिणाम की घोषणा से पहले किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकता है।

टिप्पणी:-

- मारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों (भू.पू.सै.) के लिए 10% रिक्तियां आरक्षित हैं। केन्द्रीय अर्द्ध—सैनिक बलों के कार्मिक भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अधीन आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
- II. शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए 03% रिक्तियां आरक्षित हैं [40% या अधिक गमन अक्षम दिव्यांगता (लोकोमोटर) (एक या दोनों टांगें प्रभावित)]। <u>उनके पद की प्रकृति सिविलियन</u> होगी और वे दिल्ली पुलिस की वर्दी नहीं पहनेंगे।
- III. प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर हैं: अना.—अनारिक्षत, ईडब्ल्यूएस—आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अ.पि.व.— अन्य पिछड़ा वर्ग, अ.जा.—अनुसूचित जाति, अ.ज.जा.—अनुसूचित जनजाति और पीडब्ल्यूडी—दिव्यांग व्यक्ति।

निम्नलिखित शर्तें पूरी करने वाले देश के सभी भागों से उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं:-

- (1) **01.07.2019 को आयु:** अना. / ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों हेतु 18 से 25 वर्ष, निम्नलिखित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए नीचे वर्णित आयु तक छूट:—
 - ≻ अ.पि.वः— 28 वर्ष।
 - अ.जा. / अ.ज.जा:- 30 वर्ष ।
 - दिव्यांग व्यक्ति:— अना. / ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष (अ.पि.व. के लिए 38 वर्ष और अ.जा. / अ.ज.जा. के लिए 40 वर्ष) ।
 - विधवा/तलाकशुदा महिलाएं/न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाएं, जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है:— अना./ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष (अ.पि.व. के लिए 38 वर्ष और अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 40 वर्ष)।
 - पुरूष खिलाड़ी / महिला खिलाड़ी:— अना. / अ.पि.व. / ईडब्ल्यूएस के लिए 30 वर्ष (अ.जा. / अ.ज.जा. के लिए 35 वर्ष) जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है।
 - दिल्ली पुलिस के विभागीय उम्मीदवार:— अना./ईडब्ल्यूएस के लिए 40 वर्ष (अ.पि.व. के लिए 43 वर्ष और अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 45 वर्ष) जिन्होंने दिल्ली पुलिस में 03 वर्ष की नियमित और लगातार सेवा की है।
 - भूतपूर्व सैनिकों के लिए, नियमानुसार ।
- (2) शैक्षणिक योग्यता:— मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 (वरिष्ठ माध्यमिक) उत्तीर्ण I
- (3) व्यावसायिक अपेक्षाः—अंग्रेज़ी टंकण में गति— 30 श.प्र.मि. अथवा हिंदी टंकण में गति 25 श.प्र.मि. चेतावनीः—
- (i) आवेदन पत्र में झूठी सूचना प्रेषित करना अथवा तथ्यात्मक सूचना को छिपाना, पद के लिए अयोग्यता
- (ii) दस्तावेज/प्रमाणपत्र में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाज़ी का किसी भी चरण में पता चलने पर उम्मीदवारी निरस्त किए जाने के अलावा उम्मीदवार के विरुद्ध आपराधिक मामला भी दर्ज़ किया जायेगा ।

आवेदन प्रपत्रः केवल उन आवेदनों को स्वीकार किया जायेगा जो वेबसाइट www.delhipolice.nic.in के जिए सफलतापूर्वक भरे जायेंगे। किसी भी अन्य प्रारूप में भेजे गए आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

शुल्क:— आवेदन शुल्क ₹100/— (केवल ऑनलाइन) होगा। अ.जा./अ.ज.जा./भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और महिला उम्मीदवारों को शुल्क के भूगतान से छूट है।

उम्मीदवारों को पद के लिए आवेदन करने से पहले मर्ती सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए और सुनिश्चित कर लें कि वे ऊपर इंगित आयु सीमा / अनिवार्य अर्हताएं आदि पूरी करते हैं। पात्रता शर्तें पूरी नहीं करने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी बिना कोई सूचना के भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में निरस्त कर दी जाएगी। आवेदकों की उम्मीदवारी भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में पूरी तरह अस्थायी होगी।

अविदकों से अनुरोध है कि वे विवरण के लिए, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़/रोज़गार समाचार दिनांक 12.10.2019 और दिल्ली पुलिस वेबसाइटः www.delhipolice.nic.in पर प्रकाशित विस्तृत विज्ञापन को पढ़ लें। इसमें पद के लिए रिक्तियों की वर्गानुसार संख्या, पात्रता शर्तें, फार्म भरने की प्रक्रिया, शर्तों एवं निबंधन के साथ—साथ विभिन्न परीक्षाओं जैसे कि कम्प्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक क्षमता और मापदंड परीक्षाएं (पीईएंडएमटी), कम्प्यूटर टंकण परीक्षा और कम्प्यूटर (फार्मेटिंग) परीक्षा आदि के संबंध में सूचना दी गई है। आवेदकों को पद के लिए आवेदन करने से पहले सभी सूचनाओं और निर्देशों को ध्यानपूर्वक समझ लेना चाहिए।

(एम आई हैदर)

उपायुक्त पुलिस, स्थापना, दिल्ली



DELHI POLICE

NOTICE

<u>DIRECT RECRUITMENT FOR THE POST OF</u> <u>HEAD CONSTABLE (MINISTERIAL) IN DELHI POLICE EXAMINATION, 2019</u>

ONLINE REGISTRATION OPENING DATE: 14.10.2019
ONLINE REGISTRATION CLOSING DATE: 13.11.2019
COMPUTER BASED EXAMINATION: TO BE NOTIFIED LATER

Official website: www.delhipolice.nic.in

Online applications are invited from Male and Female Indian citizens for filling up the following vacancies for the post of temporary Head Constable (Ministerial) (Group 'C') in Delhi Police in the Level-4 in pay matrix (₹25500-81100) plus usual and admissible allowances to the Central Government Employees from time to time. They will be governed under Delhi Police Act and Central Civil Services Rules applicable to other members of the force and other Acts and Rules applicable from time to time. On appointment they shall be entitled for the pension benefits as per the "New Restructured Defined Contributory Pension Scheme" applicable for the new entrants to the Central Government Services with effect from 01.01.2004:-

Name of Post		No. of Vacancies*						
		GEN./UR	EWS	OBC	SC	ST	Total	Pay Matrix Level
Head Constable	Male	140	37	86	56	53	372	
(Ministerial)	Female	69	18	42	27	26	182	Pay Matrix Level-4
TOTAL	•	209	55	128	83	79	554	(₹ 25500-81100)

*The number of vacancies is indicative and may undergo change anytime before declaration of final result.

Note:-

- 10% vacancies are reserved for Ex-Servicemen (Ex-SM) as per Govt. of India's instructions. The personnel of Central Para Military Forces are not eligible to apply under Ex-Servicemen category.
- II. 03% vacancies are reserved for Persons with Disabilities (PwD) [locomotor disability of 40% and above (either one or both leg affected)]. Their post will be civilian in nature and they will not wear uniform of Delhi Police.
- III. Before applying, candidates in their own interest are advised to go through the detailed instructions contained in this notice carefully. This notice is also available on the website of the Delhi Police i.e. www.delhipolice.nic.in.
- IV. Abbreviations used are UR-Un-Reserved, EWS-Economically Weaker Section, OBC-Other Backward Class, SC-Scheduled Caste, ST-Scheduled Tribe and PwD-Persons with Disabilities.

2. Pay of the post:-

Pay Matrix Level-4 (₹ 25500-81100) of pay matrix of 7th Central Pay Commission.

3. HOW TO APPLY: Applications must be submitted in online mode only at the official website of Delhi Police i.e. https://delhipolice.nic.in. The Delhi Police has devised a simplified format for the online application procedure and candidate must read instructions "HOW TO APPLY" available on the website. The facility of on-line application (including payment of fees through Netbanking, Credit/Debit Card & UPI) will be available from 14.10.2019 to 13.11.2019 (5:00 PM). However, candidates who wish to make the payment through challan of SBI, may make the payment to designated branches of SBI within the working hours of bank upto 14.11.2019 provided that the challan has been generated by them before 5:00 PM of 13.11.2019.

Note:-

- The candidate will upload clear scanned copies of all the documents in support of his/her claim for the recruitment.
- II. Candidates are not required to send hard copies of their online application form or any other documents. However, they can retain the hard copy of their online application form for their record.
- 4. APPLICATION FEE AND MODE OF PAYMENT: (i) Fee payable: Rupees One Hundred Only (Rs. 100/-) payable through SBI Challan, Net Banking, any Credit / Debit cards and UPI will be accepted. (ii) All women candidates and candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Persons with Disabilities and Ex-Servicemen eligible for reservation are exempted from payment of fee after uploading the caste certificate/discharge book or NOC and PwD certificate in case of persons with disabilities (iii) Applications received without the prescribed fee shall not be considered and summarily rejected. No representation against such rejection will be entertained.

Note:

- **I.** Fee once paid shall not be refunded under any circumstances nor will it be adjusted against any other examination or selection.
- II. Candidates who are not exempted from fee payment must ensure that their fee has been deposited with Delhi Police. The applications which remain incomplete due to non-receipt of fee till the closure of the window for depositing fee will be summarily rejected and no request for consideration of such applications and fee payment after the period specified in the Notice of Examination shall be entertained.
- 5. All the tests/examinations will be held at Delhi for which candidates from all parts of the country fulfilling the following conditions can apply:-

(i) Age Limit:

Age limit for the post is 18-25 years (UR/EWS) as on 01-07-2019 (i.e. candidates born not before 02-07-1994 and not later than 01-07-2001). Permissible relaxation in Upper age limit for different categories is as under:-

Category	Age-relaxation permissible
SC/ ST	5 years
OBC	3 years
PwD (UR & EWS)	10 years
PwD(OBC)	13 Years
PwD(SC/ST)	15 years
Sportsmen/Sportswomen (UR/EWS/OBC)	Upto the age of 30 years
Sportsmen/Sportswomen (SC/ST)	Upto the age of 35 years
Widows/ Divorced Women/ Women judicially separated and who are not remarried (UR/EWS)	Upto the age of 35 Years
Widows/ Divorced Women/ Women judicially separated and who are not remarried (OBC)	Upto the age of 38 Years

Widows/ Divorced Women/ Women judicially separated and who are not remarried (SC/ST)	Upto the age of 40 Years
Departmental candidates (UR/EWS) who have rendered three years regular and continuous service in Delhi Police as on closing date of receipt of online application	Upto the age of 40 Years
Departmental candidates (OBC) who have rendered three years regular and continuous service in Delhi Police as on closing date of receipt of online application	Upto the age of 43 Years
Departmental candidates (SC/ST) who have rendered three years regular and continuous service in Delhi Police as on closing date of receipt of online application	Upto the age of 45 years
Ex-Servicemen (Ex-SM) (UR/EWS)	03 years after deduction of the military service rendered from the actual age as on closing date of receipt of online application
Ex-Servicemen (Ex-SM) (OBC)	06 years (03 years + 03 years) after deduction of the military service rendered from the actual age as on closing date of receipt of online application
Ex-Servicemen (Ex-SM) (SC/ST)	08 years (03 years + 05 years) after deduction of the military service rendered from the actual age as on closing date of receipt of online application

(ii) Educational Qualification:- 10+2 (Senior Secondary) pass from a recognized board at the time of filling up of application form.

Note:-Candidates who have not acquired the educational qualification at the time of filling up of application form will not be eligible and need not apply.

(iii) Professional Requirement:-

Speed in English Typing on Computer-30 words per minute.

0

Speed in Hindi Typing on Computer-25 words per minute.

(iv) Physical Endurance Test (Qualifying):

(A) Male Candidates

For candidates including ex-servicemen and departmental candidates (age-wise) will be as under:-

Age	Race 1600 Meters	Long Jump	High Jump
Upto 30 years	07 minutes	12½ feet (12'6")	3½ feet (3'6")
Above 30 to 40 years	08 minutes	11½ feet (11'6")	3¼ feet (3'3")
Above 40 years	09 minutes	10½ feet (10'6")	3 feet

(B) Female candidates:

For candidates including departmental candidates and widow/ divorced/judicially separated women candidates (age-wise) will be as under:-

Age	Race 800 Meters	Long Jump	High Jump
Upto 30 years	05 minutes	9 feet	3 feet
Above 30 to 40 years	06 minutes	8 feet	2½ feet (2'6")
Above 40 years	07 minutes	7 feet	21/4 feet (2'3")

(v) Physical Measurement Standards:-

(A) Male Candidates

(A) Male	Callulates						
(a) Height	165 cms. Relaxable by 5 cms for:-						
	(i) residents of hill areas i.e. Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to States/UTs of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Kashmir region of J&K and Ladakh (Candidates claiming this relaxation are required to produce a certificate to this effect (Hill area certificate) from the competent authority i.e. DC/DM/SDM or Tehsildar of their place of residence at the time of Physical Measurement Test).						
	(ii) ST candidates.						
	(iii) sons of either serving, retired or deceased Delhi Police personnel/ Multi-Tasking Staff of Delhi Police.						
(b) Chest	78 cms - 82 cms (with minimum of 4 cms expansion). Relaxable by 5 cms for:-						
	(i) residents of hill areas for which certificate as above (Hill area certificate) is required to be produced.						
	(ii) ST candidates.						
	(iii) sons of either serving, retired or deceased Delhi Police personnel/						

Note:- For all candidates minimum expansion has to be 4 cms, failing which he will be disqualified.

Multi-Tasking Staff of Delhi Police.

(B) Female Candidates

Height	157 cms, relaxable by 5 cms for:-						
	(i) residents of hill areas for which certificate as above (Hill area certificate) is required to be produced.						
	(ii) SC/ST candidates.						
	(iii) daughters of either serving, retired or deceased Delhi Police						
	personnel/Multi-Tasking Staff of Delhi Police						

Note:-

- I Those who qualify in the race will be eligible to appear in Long Jump and then High Jump. Long Jump and High Jump are to be cleared in any one of the three chances that shall be given for each event. There will be no appeal against disqualification in race, long jump and high jump.
- II The female candidates, who are pregnant, at the time of PE&MT will not be allowed to participate in Physical Endurance Test. Her Physical Endurance Test will be conducted after "the period of confinement" and till then result of such cases will be kept in a sealed cover.
- The Persons with Disabilities (PwD) shall be exempted from Physical Endurance & Measurement Tests.

IV The relaxation in height/chest (male) and height (female) will be extended to the sons/daughters of only those Delhi Police personnel/Multi-Tasking Staff, who have not been awarded punishments of dismissal/removal/termination or compulsory retirement by way of penalty. The Wards of police personnel and Multi-Tasking Staff of Delhi Police belonging to SC/ST/Hill area category will not be entitled to get double relaxation. They can either avail relaxation in their own category or as a ward of police personnel & Multi-Tasking Staff of Delhi Police.

(vi) Medical Standard:-

- (a) The candidates should be of sound state of health, free from defect, deformity or disease. The required vision is 6/12 with or without glasses for both eyes. No relaxation is allowed to any category of candidates on this count.
- b) For persons with disability (PwD):- Sound state of health, with vision of 6/12 with or without glasses for both eyes. Locomotor disability 40% and above (either one or both leg affected) shall be allowed. The physical requirements will be as under:-

(F, PP, L	(F, PP, L, B, S, BL)					
Code	Physical Requirements					
F	Work performed by manipulating (with Fingers)					
PP	Work performed by pulling & pushing.					
L	Work performed by lifting.					
В	Work performed by bending.					
S	Work performed by sitting (on bench or chair)					
BL	Both leg affected but not arms.					

6. CAUTION:-

- (i) Furnishing of false information or suppression of any factual information in the application form would be a disqualification for the post.
- (ii) In the event of any forgery/falsification of any document(s) i.e. educational certificate, caste certificate, persons with disability certificate, sports certificate etc., being detected at any stage, besides cancellation of candidature, a criminal case will also be got registered against the candidate as per law.

7. GENERAL INSTRUCTIONS:-

- (i) The entire process of recruitment including Computer Based Examination, Physical Endurance & Measurement Tests (PE&MT), Typing Test on Computer, Computer (Formatting) Test and Medical Examination etc. as prescribed for the post will be held at Delhi only.
- (ii) Application Fee:- Male candidates belonging to General (UR)/OBC/EWS category applying for recruitment to the post should pay Rs. 100/- (Rupees One Hundred only) as application fee through online payment gateway system on www.delhipolice.nic.in. Women candidates and candidates belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribe, Persons with Disabilities (PwD) and Ex-Servicemen category are exempted from paying application fee after uploading the certificate/discharge book or NOC and PwD certificate in case of persons with disabilities. Fee once paid will not be refunded under any circumstances and the fee paid by modes other than above will not be accepted and applications of such candidates will be rejected forthright and the payment made shall stand forfeited.
- (iii) **Date of Birth:-** Candidates should note that only the Date of Birth as recorded in the Matriculation certificate will be accepted for determining the age and no subsequent request for its change will be considered.
- (iv) OBC Category:- Candidates claiming benefits under OBC category shall be in accordance with castes notified in the Central List. OBC Certificates issued by Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD), but not included in the Central List of OBCs, will also be accepted for reservation and age relaxation purposes. The Certificate should be in the prescribed form issued by the competent authority empowered for the purpose. No other certificate will be accepted as sufficient proof. A person seeking appointment on the basis of reservation to OBCs must ensure that he/she possesses the caste/community certificate and does not fall in creamy layer.
- (v) Candidates who wish to be considered against vacancies reserved/or seek agerelaxation must submit requisite certificate from the competent authority, in the prescribed format at the time of PE&MT/document verification. Otherwise, their claim for SC/ST/OBC/EWS/Ex-SM/Persons with Disabilities (PwD), Sportsperson, widow/divorced woman/judicially separated woman status will not be entertained and their candidature will be cancelled. The format of the certificates are annexed with the Notice. Certificates in any other format will not be accepted.
- (vi) Candidates are warned that they will be permanently debarred from the examination conducted by the Delhi Police in case they fraudulently claim SC/ST/OBC/ Economically Weaker Section, Ex-Serviceman, Sportsperson, widow/divorced woman/judicially separated woman or Persons with Disability candidates status.
- (vii) Candidates already working with Govt./Semi Govt. can apply after intimating to their Head of Office/Department. They will have to provide No Objection Certificate (NOC) from their department at the time of checking of documents.
- (viii) **Biometric:** The candidates will have to go through Biometric mapping and their identities will be verified at all stages of recruitment and joining.
- Age relaxation for sportsmen/sportswomen:- Age relaxation as mentioned at point No. 5(i) will be given to sportsmen/sportswomen of distinction who have represented a State at the National level or the Country at the International level in sports during preceding three years from the date of advertisement of vacancies. The discipline of sports for which relaxation is available is mentioned below. The formats of the sports certificates are annexed with the Notice. The sports certificates having photograph of the candidate duly attested by the Secretary of the State/National Sports Federation only shall be accepted.

LIST OF SPORTS/GAMES FOR WHICH AGE RELAXATION IS AVAILABLE:

	,		
Archery	Cycling	Kabaddi (Circle/beach)	Tennis
Athletics	Equestrian	Karate	Triathlon
Badminton	Football	Kho-Kho	Volleyball
Basketball	Gymnastics	Swimming	Wrestling
Boxing	Hockey	Shooting	Weightlifting
Cricket	Judo	Table Tennis	

(X) DEFINITION OF EX-SERVICEMAN (EX-SM)

The definition of Ex-Servicemen (Ex-SM) as defined in Govt. of India. Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training, New Delhi's O.M. No. 36034/5/85-Estt.(SCT) dated 14.4.1987 is given as under:-

"An Ex-Serviceman means a person, who has served in any rank whether as a Combatant or non-combatant in the Regular Army, Navy and Air Force of the Indian Union and

- i) who retired from such service after earning his/her pension; or
- ii) whose discharge book has the endorsement of Ex-Serviceman; or
- who has been released from such service on medical grounds attributable to military service or circumstances beyond his control and awarded medical or other disability pension; or
- who has been released, otherwise than on his own request, from such service as a result of reduction in establishment; or
- who has been released from such service after completing the specific period of engagements, otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, and has been given a gratuity; and includes personnel of the Territorial Army of the following categories, namely:
 - a) Pension holders for continuous embodied service,
 - b) Persons with disability attributable to military service; and
 - c) Gallantry award winners."

The Territorial Army personnel will however be treated as Ex-Servicemen w.e.f. 15.11.1986.

Ex-Servicemen who are paid from the Central revenues are eligible to be re-enlisted as Head Constable (Ministerial) at the discretion of the appointing authority if their discharge certificate shows previous service as Good or of higher classification/grading, provided that they conform to the educational standards laid down for Head Constable (Ministerial) from open competition and qualify such endurance/efficiency tests as prescribed by the Commissioner of Police, from time to time by issuing necessary Standing Orders and they are medically fit for police service according to standards prescribed for recruits.

Note:

- Ex-Servicemen who have already secured employment under Central Government (including State Govt./Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies/Statutory Bodies/Nationalized Banks etc.) in Group 'C' posts on regular basis after availing of the benefits of reservation given to Ex-Servicemen for their re-employment are NOT eligible for fee concession or for claiming benefits of reservation under Ex-Servicemen category. However, they are eligible for the age relaxation only.
- II The period of "Call up Service" of an Ex-Serviceman in the Armed Forces shall also be treated as service rendered in the Armed Forces for purpose of age relaxation.
- III For any Serviceman of the three Armed Forces of the Union to be treated as Ex-Serviceman for the purpose of securing the benefits of reservation, he must have already acquired, at the relevant time of submitting his application for the Post/Service, the status of Ex-Serviceman and /or is in a position to establish his acquired entitlement by documentary evidence from the competent authority that he would complete specified term of engagement from the Armed Forces within the stipulated period of one year from the closing date of the application form.

Explanation

The persons serving in the Armed Forces of the Union, who on retirement from service, would come under the category of "Ex-Serviceman" may be permitted to apply for re-employment, one year before the completion of the specified terms of engagement and avail themselves of all concessions available to Ex-Servicemen but shall not be permitted to leave the uniform until they complete the specified term of engagement in the Armed Forces of Union.

All such candidates who are serving in the Armed Forces and intend to apply under Ex-Servicemen category will be required to submit NOC from the department which shall clearly mention their date of discharge from the Armed Forces. The date of discharge/date of completion of specified term of engagement with the Armed Forces must be within one year from the closing date of application form. NOC having no mention of the date of discharge from the Armed forces will not be entertained and their Application forms will be rejected without assigning any further reasons.

Note: A matriculate ex-servicemen (which term include an ex-servicemen, who has obtained the Indian Army Special Certificate of education or the corresponding certificate in the Navy or the Air Force), who has put in not less than 15 years of service as on closing date of application form with the Armed Forces of the Union will be considered eligible for applying for the post.

8. METHOD OF RECRUITMENT

The selection process shall consist of the following compulsory tests in the given order:-

Tes	ts/Exams	Maximum Marks/Qualifying
(i)	Computer Based Examination	100 Marks
(ii)	Physical Endurance & Measurement Tests (PE&MT)	Qualifying
(iii)	Typing Test on Computer	25 Marks
(iv)	Computer (Formatting) Test	Qualifying
	FINAL RESULT	125 MARKS

). COMPUTER BASED EXAMINATION--OBJECTIVE TYPE:-

All the candidates shall be put through a Computer Based Examination on the subjects as mentioned below. There will be 'No' negative marks for wrong answer. The question paper for Computer Based Examination **except Part-D** will be in HINDI and ENGLISH only.

	Subject (Not in sequence)	No. of Questions	Max. Marks	Time Duration (For all five Parts)
Part-A	General Awareness	20	20	
Part-B	Quantitative Aptitude (Basic Arithmetic Skill)	20	20	
Part-C	General Intelligence	25	25	90 Minutes
Part-D	English Language (Basic Knowledge)	25	25	30 11111111103
Part-E	Computer Fundamentals, MS Excel, MS Word, Communication, Internet, WWW and Web Browsers etc.	10	10	
	Total	100	100	

Indicative Syllabus for Computer Based Examination

(A) General Awareness: Questions are designed to test the candidate's general awareness around him/her and its application to society. Questions are also designed to test his/her knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expected of an educated person. The test will also include questions relating to India and its neighboring countries especially pertaining to History, Culture, Geography, Indian Economy, General Polity, Indian Constitution, Scientific Research. These questions will be such that they do not require a special study of any discipline.

(B) Quantitative Aptitude:

Number Systems: Computation of Whole Number, Decimal and Fractions, Relationship between numbers.

Fundamental arithmetical operations: Percentages, Ratio and Proportion, Square roots, Averages, Interest (Simple and Compound), Profit and Loss, Discount, Partnership Business, Mixture and Alligation, Time and distance, Time and work.

Algebra: Basic algebraic identities of School Algebra and Elementary surds (simple problems) and Graphs of Linear Equations.

Geometry: Familiarity with elementary geometric figures and facts:

Triangle and its various kinds of centres, Congruence and similarity of triangles, Circle and its chords, tangents, angles subtended by chords of a circle, common tangents to two or more circles

Mensuration: Triangle, Quadrilaterals, Regular Polygons, Circle, Right Prism, Right Circular Cone, Right Circular Cylinder, Sphere, Hemispheres, Rectangular Parallelepiped, Regular Right Pyramid with triangular or square Base.

Trigonometry: Trigonometry, Trigonometric ratios, Complementary angles, Height and distances (simple problems only).

Statistical Charts: Use of Tables and Graphs: Histogram, Frequency polygon, Bar-diagram, Pie-chart.

- (C) General Intelligence: It would include questions of both verbal and non-verbal type. The test will include questions on Semantic Analogy, Symbolic operations, Symbolic/ Number Analogy, Trends, Figural Analogy, Space Orientation, Semantic Classification, Venn Diagrams, Symbolic/ Number Classification, Drawing inferences, Figural Classification, Punched hole/ pattern-folding & unfolding, Semantic Series, Figural Pattern-folding and completion, Number Series, Embedded figures, Figural Series, Critical Thinking, Problem Solving, Emotional Intelligence, Word Building, Social Intelligence, Coding and de-coding.
- (D) English Language: Spot the Error, Fill in the Blanks, Synonyms/ Homonyms, Antonyms, Spellings/Detecting mis-spelt words, Idioms & Phrases, One word substitution, Improvement of Sentences, Active/ Passive Voice of Verbs, Conversion into Direct/ Indirect narration, Shuffling of Sentence parts, Shuffling of Sentences in a passage, Cloze Passage, Comprehension Passage.
- (E) Computer Fundamentals, MS Excel, MS Word, Communication, Internet, WWW and Web Browsers etc.

This paper will include questions on the following:

- 1. Elements of Word Processing (Word Processing Basics, Opening and closing Documents, Text Creation, Formatting the Text and its presentation features).
- 2. MS Excel (Elements of Spread Sheet, Editing of Cells, Function and Formulas).
- 3. Communication (Basics of E-mail, Sending/receiving of Emails and its related functions).
- Internet, WWW and Web Browsers (Internet, Services on Internet, URL, HTTP, FTP, Web sites, Blogs, Web Browsing Software, Search Engines, Chat, Video conferencing, e-Banking) etc.

10. DISPLAYING/UPLOADING OF TENTATIVE ANSWER KEY OF COMPUTER BASED EXAMINATION

After conducting the Computer Based Examination, the answer key for the examination will be displayed/uploaded on the website of the Delhi Police i.e. www.delhipolice.nic.in. The candidates who are not satisfied with the captured response, may challenge by filing application/representation along with proof/ documents/ solution in support of their claim within 15 days of uploading of the answer key along with a fee of Rs. 100/- per question/answer challenged. Online link will be provided to accept the representations and fee. However, the decision of the Commissioner of Police, Delhi on the challenges shall be final and no further communication will be entertained. No representation after the stipulated period will be entertained under any circumstances.

11. DECLARATION OF THE RESULT OF COMPUTER BASED EXAMINATION FOR APPEARING IN PHYSICAL ENDURANCE AND MEASUREMENT TESTS (PE&MT)

The candidates who come within the range of merit of Computer Based Examination equal to **twenty (20) times** the number of vacancies advertised in each category i.e. General/SC/ST/OBC/EWS and Ex-servicemen (category-wise) shall be called for appearing in the PE&MT subject to securing minimum 40% marks under General/EWS Category (minimum 35% in case of SC/ST/OBC and 30% under Ex-Servicemen category). In case there are a large number of candidates on cutoff marks, all candidates on that cutoff for the relevant category will be called for the PE&MT. Persons with Disabilities (PwD) shall be qualified in Computer Based Examination **20 times** of the number of vacancies, directly for Typing Test on Computer as they are exempted from Physical Endurance & Measurement Tests(PE&MT), however this will be subject to securing minimum 30% marks in the Computer Based Examination.

12. PHYSICAL ENDURANCE & MEASUREMENT TESTS (PE&MT)

The candidates qualified in the Physical Endurance Tests (Race, Long Jump and High Jump) as prescribed in para 5(iv)(A) and para 5(iv)(B) shall have to further appear in Physical Measurement Tests i.e. Height/Chest (male candidates) and Height (female candidates) as per the standards prescribed for the post. Candidates not satisfied with their physical measurement will have to file an appeal against disqualification on the day of PE&MT itself. No application/appeal will be entertained at later stage.

Note:- The Persons with Disability (PwD) candidates (Male/Female) shall be exempted from Physical Endurance & Measurement Tests.

13. CHECKING OF ORIGINAL DOCUMENTS/CERTIFICATES FOR ELIGIBILITY CRITERIA

All the original documents/certificates pertaining to age, education, caste, hill areas, NOC/discharge certificate (in case of Ex-Serviceman), sports certificate, proof to avail age relaxation as a widow/divorced/judicially separated woman, serving certificate in case of departmental candidates serving in Delhi Police containing his date of enlistment, Wards of Delhi Police Personnel certificate and No Objection Certificate in case already employed in Government/Semi Government, would be checked at the time of Physical Endurance & Measurement Tests of the candidates who successfully qualify all the events of PE&MT and at

the time of Typing Test on Computer in case of Persons with Disabilities (PwD) candidates. The final document checking will again be done at the time of issue of "Offer of Appointment". The candidates will be required to submit self attested photo copies of all the documents/certificates.

14. TYPING TEST ON COMPUTER (MAXIMUM 25 MARKS)

Candidates who qualify in Physical Endurance and Measurement Tests (PE&MT); as well as Persons with Disability (PwD) who qualify in Computer Based Examination will be called for Typing Test on Computer. The test shall be of 10 minutes duration. The marks will be taken into account while preparing the final result. The candidates will be allotted marks according to speed achieved in the typing test.

15. COMPUTER (FORMATTING) TEST (QUALIFYING)

The candidates who qualify the Typing Test on Computer shall be called for Computer (Formatting) Test and will be tested on MS-Word, MS-Power Point and MS-Excel which will be of qualifying nature. The candidates will be given 10 minutes time for each tests separately. The candidate shall have to format in the same way as it is in the supplied hand-out and to print the same in the printer. The following formatting features used in routine should be tested:-

MS-V	Vord		Time:10 minutes		
(i)	Indenting of paragraphs	(xi)	Superscript		
(ii)	Underline	(xii)	Subscript		
(iii)	Using different font type	(xiii)	Page numbering		
(iv)	Inserting of paragraph numbers	(xiv)	Insertion of symbol		
(v)	Setting of left/ right margin	(xv)	Draw/Insertion of table		
(vi)	Select text in bold	(xvi)	Bullets/ Numbering		
(vii)	Italics	(xvii)	Change case		
(viii)	Using different font size	(xviii)	Setting of paragraphs		
(ix)	Centre, left, right, justification	(xix)	Some text as Header		
(x)	Line spacing of the passage, viz. single, double etc.	(xx)	Some text as Footer		
MS-F	MS-PowerPoint Time:10 minutes				

MS-PowerPoint			Time:10 minutes
(i)	Insert Header	(xi)	Background style of slide
(ii)	Use text box	(xii)	Design of Slide
(iii)	Create Hyperlink	(xiii)	Print handout
(iv)	Insert Chart/Graph	(xiv)	Insert clipart
(v)	Drawing of Table	(xv)	Insert Footer
(vi)	Insert auto number in table	(xvi)	Slide Numbering
(vii)	Insert bullet in table	(xvii)	Insert Picture
(viii)	Insert shapes	(xviii)	Publish handout with MS Word
(ix)	Insert Smart art	(xix)	Insert action
(x)	Insert text with WordArt	(xx)	Alignment of text

, ,		, ,	-
MS-E	MS-Excel Time:10 minutes		
(i)	Insert Chart/Graph	(xi)	Format cell as rupee
(ii)	Wrap text	(xii)	Insert clipart
(iii)	Merge cells	(xiii)	Font size
(iv)	Centre a Text	(xiv)	Font style
(v)	Centre align as text	(xv)	Font colour
(vi)	Orientation of text	(xvi)	Insert footer
(vii)	Bold a text	(xvii)	Sort data
(viii)	Underline a text	(xviii)	Insert formula
(ix)	Italics	(xix)	Insert shapes
(x)	Insert header	(xx)	Format cell as number and decimal places

20 features of formatting, as listed above will be tested in each test with 1/2 mark each for every feature of formatting. In case of formatting features if the candidates carry out the formatting as per the specimen, 1/2 mark each will be given. Otherwise, no marks will be given. Out of the 10 marks for the formatting features for each test, a candidate will secure at least 6 marks in each test to qualify. There is no bar to candidates correcting the mistakes by use of editing tools.

16. FINAL RESULT

- (i) The list of selected candidates (as per the number of vacancies advertised) (category-wise) from the list of candidates, declared qualified in Computer (Formatting) Test will be prepared strictly on the basis of merit of Computer Based Examination (100 marks) and Typing Test on Computer (25 marks).
- (ii) SC, ST, OBC candidates, who are selected on their own merit without relaxed standards, along with candidates belonging to other communities, will not be adjusted against the reserved share of vacancies. Such SC, ST, OBC candidates will be accommodated against the general/unreserved vacancies as per their position in the overall Merit List. The reserved vacancies will be filled up separately from amongst the eligible SC, ST, OBC candidates which will thus comprise of SC, ST, OBC candidates who are lower in merit than the last general candidate on merit list of unreserved category but otherwise found suitable for appointment even by relaxed standard.
- (iii) A person belonging to EWS cannot be denied the right to compete for appointment against an unreserved vacancy. Persons belonging to EWS who will be selected on the basis of merit and not on account of reservation will not to be counted towards the quota meant for reservation.
- iv) The candidates will be selected provisionally subject to police verification of their character and antecedents and medical fitness as prescribed for the post.

Note:- Cases of all selected candidates against whom any criminal case is registered/pending investigation/pending trial in the court will be considered as per law in view of the provisions of Standing Order No. 398/2018. Cases of selected departmental candidates against whom there is any DE/PE/Criminal case/Vigilance enquiry etc., is pending will be kept pending till the finalization of their cases.

17. RESOLUTION OF TIE CASES

In case where more than one candidate secure the equal aggregate marks, tie will be resolved by applying the following methods one after another:-

i) The older candidate shall be given preference.

In case, the date of birth is also same, the candidate who has secured higher marks in 13. For any queries candidates may contact Delhi Police Recruitment Cell Helpdesk, Computer Based Examination shall be given preference. at Recruitment Cell, New Police Lines, Kingsway Camp, Delhi-110009 at the If date of birth and marks in Computer Based Examination are also same, alphabetical following phone numbers between 09:30 am to 06:00 pm on all working days except Saturday, Sunday and National Holidays:order in which first names of the candidates appear will decide the case. 18. INSTRUCTIONS REGARDING TESTS 011-27241205 011-27241206 011-27412715 The date of Computer Based Examination, PE&MT, Typing Test on Computer and 14. Candidates are advised to keep with themselves photocopies of application Computer(Formatting) Test will be notified through Delhi Police website i.e. form and admit card (at the time of Computer Based Examination and other www.delhipolice.nic.in. Tests as prescribed for the post) for ready reference. Candidates must carry The Admit Card for the Computer Based Examination and other tests prescribed for the at least two passport size recent colour photograph and one photo bearing post will be uploaded on Delhi Police website: www.delhipolice.nic.in. Candidates can identity proof such as Driving License, Voter Card, Aadhaar Card, Identity Card download the Call letter/Admit Card from the Delhi Police Website. No separate call issued by University/College, Income Tax Pan Card, Employer ID Card in original letter/admit card will be sent to the candidates. to the examination center, failing which they shall not be allowed to appear for The Delhi Police will not undertake detailed scrutiny of applications for the eligibility and the examination. other aspects at the time of Computer Based Examination and, therefore, candidature 15. Application form with blurred photograph/Signature will be rejected will be accepted only provisionally. summarily. No change of centre of examination for the Computer Based Examination will be allowed 16. If ineligibility of a candidate is detected at any stage, his/her candidature will be under any circumstances. Delhi Police reserves the right to cancel any centre and can cancelled without any prior notice. ask the candidates of that centre to appear at another centre. Delhi Police also reserves the right to divert candidates of any centre to some other centre to take the examination. 17. Any change in the schedule already announced would be displayed on the notice board of the DCP/Recruitment, New Police Lines, Kingsway Camp, Candidates are not permitted to use Mobile Phone, Calculators or any other electronic/ Delhi-110009 and on Delhi Police website www.delhipolice.nic.in. electrical device. Candidates **Must Not** bring mobile phone, calculators or any other electronic/electrical device during examinations/tests. Possession of these items, Recruitment in Delhi Police is totally transparent, fair and purely on the basis of 18. whether in use or not, will be considered as "Use of unfair means" in the examination performance of the aspirants. No candidate is required to pay any money in cash and appropriate action will be taken against such candidates. or otherwise for recruitment in Delhi Police. If someone approaches them or No representation for revaluation of answer sheet of Computer Based Examination/ asks for money or any other favour, they may report the matter to Typing Test on Computer/Computer (Formatting) test or re-conduct of any tests/ DCP/Recruitment, New Police Lines, Kingsway Camp, Delhi or the local police. examinations as prescribed for the post will be entertained. 19. No TA/DA will be paid to the candidates. (vii) The Delhi Police reserves the right to cancel/withdraw any question/questions from the 20. If there is any variation in the interpretation of words/instructions in the Computer Based Examination. notice, the English version will prevail. (viii) The marks scored by the candidates in Computer Based Examination will be subjected to Disclaimer: Information given in this advertisement and on website are 21. a Normalization Process called Equi-Percentile Equating. The percentile ranks so guidelines only. In case of any ambiguity, the existing rules and regulations derived & equated will be used as input criteria to finalise the merit list. of Delhi Police/Govt. of India will be final. 19. BASIC TRAINING COURSE The candidates selected for the post will have to undergo Residential Basic Training course (M.I. HAIDER) at training centre in Delhi for 4 months duration or as prescribed from time to time by the DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE, Commissioner of Police, Delhi and will have to pass out successfully from the Police Training ESTABLISHMENT, DELHI College/Police Training School as per training Standing Order. Note:-**ANNEXURE-A** The Persons with Disabilities (PwD) candidates shall be exempted from Outdoor training. FORM 1 However, they will undergo Indoor training as per training Standing Order for the post. (For representing India in an International Competition in The Medium of instruction in Police Training College/School will be Hindi. Passport size one of the recognized Games/Sports) **IMPORTANT INSTRUCTIONS:**photograph NATIONAL FEDERATION/NATIONAL ASSOCIATION duly WARNING: Furnishing of false information or suppression of any factual signed by information in the application form would be a disqualification for the post. In the (AFFILIATED WITH INDIAN OLYMPIC ASSOCIATION) issuing event of any forgery/falsification of any document(s)/certificate(s), being Certificate to meritorious sportsman for employment to authority. detected at any stage, besides cancellation of candidature, a criminal case will Group 'C' Services under the Central Government also be got registered against the candidate as per law. Certified that Shri/Smt./Kumari___ son/wife/daughter Before applying, candidates are advised to go through the detailed instructions 2. of Shri Date of birth contained in this notice carefully. This notice is also available on the website resident of www.delhipolice.nic.in. (complete address) represented the Country in the game/championship of_ 3. The mode of filling up of online application form is available on the website of Delhi Police i.e. www.delhipolice.nic.in. Candidates seeking reservation benefits as SC/ST/OBC/EWS/Ex-Servicemen 4. and Persons with Disabilities (PwD) must ensure that they fulfill requisite The position obtained by the individual/team in the above said Competition/Tournament eligibility criteria as per eligibility prescribed in the Notice. They should also be in possession of the certificates in the prescribed format in support of their claim The Certificate has been issued on the basis of record available in the Office of National when the copies of the certificates will be sought at the time of PE&MT and at the Federation/National Association of _ time of Typing Test on Computer in case of Persons with Disabilities (PwD). OBC/EWS candidates should ensure that they are in possession of OBC/EWS certificate in the prescribed format issued by the competent authority prescribed Date_____ Signature_____ in this Notice. The candidates reporting without required documents will not be Name_ allowed to undertake further test/examination. Designation____ 5. The decision of the Delhi Police in all matters relating to eligibility, acceptance or Name of the Federation/National Association rejection of the applications, penalty for false information, mode of selection, conduct of examination/tests(s) allotment of examination centre and preparation of merit will be final and binding on the candidates and no Address_ enquiry/correspondence will be entertained in this regard. **NOTE:** This certificate will be valid only when signed personally by the Secretary. National COURT JURISDICTION: Any dispute and differences in regard to this 6. Federation/National Association. recruitment will be subject to the jurisdiction of the courts/tribunals within the territorial limits of Delhi only. Mobiles & accessories and other electronic gadgets are banned within the 7. **ANNEXURE-B** premises of the examination/test venues. Candidature of candidates in possession of such gadgets will be cancelled forthwith. The Delhi Police FORM 2 considers such possession as adopting unfair means. (For representing a State in India in a National Competition in Passport size one of the recognized Games/Sports) Application will be accepted through online mode only. Candidature of photograph candidates applying through any other mode is liable for rejection summarily. STATE ASSOCIATION OF duly Submission of Multiple applications- Only one online application is to be 9. GAME OF_ signed by submitted by the candidates. Multiple-applications will be rejected. It is the onus issuing (AFFILIATED WITH STATE OLYMPIC ASSOCIATION) of the candidate to ensure that he/she appears only once for this Examinationauthority. 2019. At any stage, if it is found that he/she appeared more than once in the said Certificate to meritorious sportsman for employment to Examination, his/her candidature will be cancelled. Group 'C' Services under the Central Government 10. Incomplete applications will be summarily rejected and no correspondence on Certified that Shri/Smt./Kumari_ son/wife/daughter Date of birth this will be entertained. No application received after the last date as mentioned resident of above will be accepted and Delhi Police will not be responsible for any electronic, _ (complete address) represented ___ in the game/ championship of internet related problems, etc. faced by the candidates. the State of _ Competition/Tournament held at_ The Delhi Police reserves the right to cancel entire process of examination or a 11.

The position obtained by the individual/team in the above said Competition/ Tournament

The Certificate has been issued on the basis of record available in the Office of State Association

part of it due to administrative reason(s) and in case of unfair means, cheating or

The Delhi Police will send acknowledgement through SMS/email to candidates

applying on-line regarding successful completion of registration of on-line

other irregularities/malpractice noticed in the examinations/ tests.

12.

application.

Place	Representation of the People Act, 1950.
Date	**List of authorities empowered to issue Caste/Tribe Certificates:
Signature	(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner Additional Deputy Commissioner/Dy.Collector/Ist Class Stipendiary Magistrate/Sub
Name	Divisional Magistrate/Extra-Assistant Commissioner/Taluka Magistrate/Executiv
Designation Name of the State Association/Federation	Magistrate.
Address	(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
Seal	(iii) Revenue Officers not below the rank of rensilidar. (iv) Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and/or his family normally resides.
NOTE: This certificate will be valid only when signed personally by the Secretary of the State Association.	NOTE: ST candidates belonging to Tamil Nadu state should submit caste certificate ONLY FROM THE REVENUE DIVISIONAL OFFICER.
ANNEXURE-C	H
FORMAT FOR SC/ST CERTIFICATE	FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES
A candidate who claims to belong to one of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes should submit in support of his claim an attested/certified copy of a certificate in the form given below, from the District Officer or the sub-Divisional Officer or any other officer as indicated below of the	APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA
District in which his parents (or surviving parent) ordinarily reside who has been designated by the State Government concerned as competent to issue such a certificate. If both his parents are dead,	This is to certify that Shri / Smt. / KumariSon /Daughter c Shri/Smt of Village/Town District/Division i
the officer signing the certificate should be of the district in which the candidate himself ordinarily resides otherwise than for the purpose of his own education.	i theState belongs to theCommunity which i recognized as a backward class under:
(The Form of the certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under Government of India)	(i) Resolution No. 12011/68/93-BCC(C) dated 10/09/93 published in the Gazette of Indi- Extraordinary Part I Section I No. 186 dated 13/09/93.
This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari* son/daughter of of village/town/* in District/Division of the State/Union Territory* belongs to the	(ii) Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19/10/94 published in the Gazette of Indi Extraordinary Part I Section I No. 163 dated 20/10/94.
Caste/Tribes which is recognized as a Scheduled Castes/Scheduled Tribes* under:-	(iii) Resolution No. 12011/7/95-BCC dated 24/05/95 published in the Gazette of Indi- Extraordinary Part I Section I No. 88 dated 25/05/95.
The Constitution (Scheduled Castes) order, 1950* The Constitution (Scheduled Tribes) order, 1950*	(iv) Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 9/03/96.
The Constitution (Scheduled Castes) Union Territories order, 1951* The Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951*	Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 11/12/96.
(As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) order, 1956, the	(vi) Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 03/12/97.
Bombay Re-organisation Act, 1960, the Punjab Re-organisation Act, 1966, the State of Himachal	(vii) Resolution No. 12011/99/94-BCC dated 11/12/97. (viii) Resolution No. 12011/68/98-BCC dated 27/10/99.
Pradesh Act 1970 and the North-Eastern Area(Re-organisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order, (Amendment) Act, 1976)	(ix) Resolution No. 12011/88/98-BCC dated 6/12/99 published in the Gazette of Indi
The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956@ The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959@ as amended by	Extraordinary Part I Section I No. 270 dated 06/12/99. (x) Resolution No. 12011/36/99-BCC dated 04/04/2000 published in the Gazette of Indi
the Scheduled Castes and Scheduled Tribes order (Amendment Act), 1976@ The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes order 1962@ The Constitution	Extraordinary Part I Section I No. 71 dated 04/04/2000. (xi) Resolution No. 12011/44/99-BCC dated 21/09/2000 published in the Gazette of India
(Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order 1962@ The Constitution (Puducherry) Scheduled Castes Order 1964@	Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 21/09/2000.
The Constitution (Puddenerry) Scheduled Castes Order 1964@ The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967 @	(xii) Resolution No. 12015/9/2000-BCC dated 06/09/2001.
The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Castes Order, 1968@	(i) Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated 19/06/2003.
The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Tribes Order 1968 @	(ii) Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13/01/2004.
The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970 @	(iii) Resolution No. 12011/9/2004-BCC dated 16/01/2006 published in the Gazette of Indi- Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 16/01/2006.
The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order 1978@	Shri/Smt./Kumariand
The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order 1978@	or his family ordinarily reside(s) in the District / Division o
The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order 1989@27	State. This is also to certify that he/she does not belong to the
The Constitution (SC) orders (Amendment) Act, 1990@	persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08/09/9
The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance, 1991@	which is modified vide OM No. 36033/3/2004 Estt.(Res.) dated 09/03/2004.
The Constitution (ST) orders (Second Amendment) Act, 1991@	Dated:
The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance, 1996. The Scheduled Caste and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002	District Magistrate/Deputy Commissioner/Competent Authority
The Constitution (Scheduled Caste) Orders (Amendment) Act, 2002	Seal
The Constitution (Scheduled Caste and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2002	NOTE:
The Constitution (Scheduled Caste) Order (Amendment) Act, 2007	(a) The term 'Ordinarily' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.
% 2. Applicable in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes persons who have migrated	(b) The authorities competent to issue Caste Certificates are indicated below:
from one State/Union Territory Administration.	(i) District Magistrate / Additional Magistrate / Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner / Deputy Collector / Ist Class Stipendiary Magistrate / Sub-Divisional
2. This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/ Scheduled tribes certificate issued to Shri/Shrimati	magistrate / Taluka Magistrate / Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner (no below the rank of Ist Class Stipendiary Magistrate).
village/town* in District/Division*	(ii) Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidenc Magistrate.
of the State/Union Territory* who belong to the Caste/Tribe which is recognized as a Scheduled	(iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar and
Caste/ Scheduled Tribe in the State/Union Territory* issued by thedated 3. Shri/Shrimati/Kumari and /or* his/her* family ordinarily reside(s) in village/town*	(iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and / or his family resides.
of the State/Union Territory* of	UNDERTAKING TO BE SUBMITTED BY OBC CANDIDATES
Other states	DECLARATION
Signature	I, son/daughter of Shri resident of village/town/city District State hereb
** Designation (with seal of office)	village/town/cityDistrictState hereby declare that I belong to the (Indicate your sub-caste) community which is
(with seal of office)	recognized as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in
Place	services as per orders contained in Department of Personnel & Training OM No. 36012/22/93
Date	Estt.(SCT), dated 08.09.1993. It is also declared that I do not belong to persons/section(s (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the above referred OM dated 08.09.199 and subsequent through 0.M. No. 36033/3/2004-Estt.(Res.), dated 09.03.2004,
* Please delete the words which are not applicable @ Please quote specific Presidential Order %	
Delete the paragraph which is not applicable.	Place: Signature of the candidate

Date:

NOTE: The term ordinarily reside(s) used here will have the same meaning as in section 20 of the

Name of the candidate

Government of	***Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.
(Name & Address of the authority issuing the certificate) INCOME & ASSETS CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS Contificate No.	ANNEXURE – F
VALID FOR THE YEAR This is to certify that Shri/Smt./Kumari son/daughter/wife of permanent resident of, Village/Street Post. Office District in the State/Union Territory Pin Code whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her family** is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year His/her family does not own or possess any of the following assets***: I. 5 acres of agricultural land and above; II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above; III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities; IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in. areas other than the notified municipalities.	CERTIFICATE SHOWING THE CANDIDATE AS WARD OF SERVING/RETIRED/DECEASED DELHI POLICE PERSONNEL It is certified that Shri
2. Shri/Smt./Kumari belongs to the caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List)	ANNEXURE- G Form of Certificate for serving Defence Personnel
Recent Passport size photograph of applicant. *Note 1: Income covered all sources in salary agriculture business profession etc.	I hereby certify that, according to the information available with me (No.) is due to complete the specified term of his engagement with the Armed Forces on the (Date) Place: (Signature of Commanding Officer)
*Note 1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc. **Note 2:The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.	Date: Office Seal



दिल्ली पुलिस

सूचना

दिल्ली पुलिस में प्रधान सिपाही (लिपिकीय) पद के लिए सीधी भर्ती परीक्षा 2019

ऑनलाइन पंजीकरण खुलने की तिथिः 14.10.2019 ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथिः 13.11.2019 कम्प्यूटर आधारित परीक्षाः बाद में अधिसूचित की जाएगी। आधिकारिक वेबसाइट: www.delhipolice.nic.in

दिल्ली पुलिस में वेतन मैट्रिक्स लेवल—4 में (₹ 25500—81100) तथा समय—समय पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय और लागू भत्तों के साथ अस्थाई प्रधान सिपाही (लिपिकीय) (समूह 'ग') पद के लिये निम्नलिखित रिक्तियां भरने हेतु पुरूष और महिला भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन—पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। वे दिल्ली पुलिस अधिनियम और बल के अन्य सदस्यों के लिये लागू केंद्रीय सिविल सेवाएं नियम तथा समय—समय पर लागू अन्य अधिनियमों एवं नियमों द्वारा शासित होंगे। नियुक्ति होने पर वे 01.01.2004 से केंद्रीय सरकार की सेवाओं में आने वाले नए व्यक्तियों के लिए लागू "नई पुनर्गठित परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना" के अनुसार पेंशन के हकदार होंगे:—

पद का नाम			रि	क्तियों व	र्ग संख	या*		वेतन मैट्रिक्स लेवल
		सामा. / अना.	ईडब्ल्यूएस	अ पि व	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	पत्तम माद्रयस लयल
प्रधान सिपाही	पुरूष	140	37	86	56	53	372	, ,,
(लिपिकीय)	महिला	69	18	42	27	26	182	वेतन मैट्रिक्स लेवल—4 (₹25500—81100)
कुल		209	55	128	83	79	554	(123300 01100)

*रिक्तियों की संख्या निर्देशात्मक है जिसमें अंतिम परिणाम की घोषणा से पहले किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकता है।

टिप्पणी:-

- भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों (भू.पू.सै) के लिए 10% रिक्तियां आरक्षित हैं। केन्द्रीय अर्द्ध—सैनिक बलों के कार्मिक भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अधीन आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
- शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों (पींडब्ल्यूडी) के लिए 03% रिक्तियां आरक्षित हैं [40% या अधिक गमन अक्षम दिव्यांगता (लोकोमोटर) (एक या दोनों टांगें प्रभावित)]। उनके पद की प्रकृति सिविलियन होगी और वे दिल्ली पुलिस की वर्दी नहीं पहनेंगे।
- III आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे इस सूचना में वर्णित विस्तृत अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। यह सूचना दिल्ली पुलिस की वेबसाइट www.delhipolice.nic.in पर भी उपलब्ध है।
- IV. प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर हैं: अना.—अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस—आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, अ.पि.व.— अन्य पिछड़ा वर्ग, अ.जा.—अनुसूचित जाति, अ.ज.जा.—अनुसूचित जनजाति और पीडब्ल्यूडी— दिव्यांग व्यक्ति।

2. पद का वेतन:--

7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के वेतन मैट्रिक्स लेवल—4 (₹25500—81100) |

3. आवेदन कैसे करें: आवेदन—पत्र केवल ऑनलाइन पद्धित में दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट https://delhipolice.nic.in पर प्रस्तुत किए जाने चाहिए। दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन आवेदन के लिए एक सरलीकृत प्रारूप तैयार किया है और उम्मीदवारों को वेबसाइट पर उपलब्ध 'आवेदन कैसे करें' अनुदेशों को अवश्य पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा (नेटबैंकिंग और क्रेडिट / डेबिट कार्ड एवं यूपीआई के जिरये शुल्क के भुगतान सिहत) 14.10.2019 से 13.11.2019 (साय 5:00 बजे) तक उपलब्ध होगी। हालांकि, जो उम्मीदवार एसबीआई के चालान के जिरए भुगतान करने के इच्छुक हैं, वे 14.11.2019 तक बैंक के कार्य घण्टों के दौरान एसबीआई की नामित शाखाओं में भुगतान कर सकते हैं बशर्त कि उनके द्वारा चालान 13.11.2019 को साय 5:00 बजे से पूर्व सृजित कर लिया गया होना चाहिए।

टिप्पणी:-

- उम्मीदवार भर्ती हेतु अपने दावे के समर्थन में सभी दस्तावेजों की स्पष्ट स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करेंगे।
- II. उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन फार्म या कोई अन्य दस्तावेज की मुद्रित / छाया प्रतियां भेजना अपेक्षित नहीं है | हालांकि वे अपने रिकार्ड के लिये अपने ऑनलाइन आवेदन फार्म की छाया
- 4. आवेदन शुल्क और भुगतान की पद्धितिः (i) देय शुल्कः केवल एक सौ रुपये (₹100) एसबीआई चालान, नेटबेंकिंग के जिरये भुगतान योग्य और कोई भी क्रेडिट / डेबिट कार्ड और यूपीआई से स्वीकार किये जायेंगे । (ii) सभी मिहला उम्मीदवारों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग व्यक्तियों और आरक्षण के लिए पात्र भूतपूर्व सैनिकों को जाति प्रमाणपत्र / डिस्चार्ज बुक अथवा एनओसी और दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में पीडब्ल्यूडी प्रमाणपत्र की अपलोडिंग के पश्चात शुल्क के भुगतान से छूट है । (iii) निर्धारित शुल्क के बगैर प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा और सीधे नामंजूर कर दिया जायेगा । ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा ।

टिप्पणी:-

- शुल्क का एक बार भुगतान कर दिए जाने पर किसी भी स्थित में इसे लौटाया नहीं जायेगा और न ही किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जायेगा।
- II. जिन उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं है, उन्हें यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि उनका शुल्क दिल्ली पुलिस के पास जमा हो गया है। शुल्क जमा करने के लिए अंतिम तिथि तक शुल्क की अप्राप्ति के कारण अपूर्ण रह गए आवेदन सीधे नामंजूर कर दिये जाएंगे और ऐसे आवेदनों पर विचार करने और परीक्षा की सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के बाद शुल्क का भुगतान करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- सभी परीक्षण / परीक्षाएं दिल्ली में आयोजित की जाएंगी जिसके लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करने वाले देश के सभी भागों से उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं:--

(i) आयु सीमाः

पद के लिए आयु सीमा 01.07.2019 को 18—25 वर्ष (अना. / ईडब्ल्यूएस) है (अर्थात् उम्मीदवार का जन्म 02.07.1994 से पहले और 01.07.2001 के बाद का नहीं होना चाहिए) | विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में स्वीकृत / अनुमतेय छूट निम्नानुसार है:—

श्रेणी / वर्ग	आयु सीमा में अनुमतेय छूट
अ.जा / अ.ज.जा.	5 वर्ष
अ.पि.व.	3 वर्ष
पीडब्ल्यूडी (अना. एवं ईडब्ल्यूएस)	10 वर्ष
पीडब्ल्यूडी (अ.पि.व.)	13 वर्ष
पीडब्ल्यूडी (अ.जा. / अ.ज.जा.)	15 वर्ष
खिलाड़ी / महिला खिलाड़ी (अना / ईडब्ल्यूएस / अ.पि.व.)	30 वर्ष की आयु तक
खिलाड़ी / महिला खिलाड़ी (अ.जा. / अ.ज.जा.)	35 वर्ष की आयु तक
विधवाएं / तलाकशुदा महिलाएं / न्यायिक रूप से अलग हुई	35 वर्ष की आयु तक
महिलाएं तथा जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है (अना / ईंबब्ल्यूएस)	

विधवाएं / तलाकशुदा महिलाएं / न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाएं तथा जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है (अ.पि.व.)	38 वर्ष की आयु तक
विधवाएं / तलाकशुदा महिलाएं / न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाएं तथा जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है (अ.जा. / अ.ज.जा.)	40 वर्ष की आयु तक
विभागीय उम्मीदवार (अना. एवं ईडब्ल्यूएस), जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को दिल्ली पुलिस में कम से कम तीन वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा की हो	40 वर्ष की आयु तक
विभागीय उम्मीदवार (अ.पि.व.), जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को दिल्ली पुलिस में कम से कम तीन वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा की हो	43 वर्ष की आयु तक
विभागीय उम्मीदवार (अ.जा. / अ.ज.जा.), जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को दिल्ली पुलिस में कम से कम तीन वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा की हो	45 वर्ष की आयु तक
भूतपूर्व सैनिक (भू.पू.सै.) (अना. / ईडब्ल्यूएस)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु से सैन्य सेवा घटाए जाने के बाद 03 वर्ष
भूतपूर्व सैनिक (भू.पू.सै.) (अ.पि.व.)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु से सैन्य सेवा घटाए जाने के बाद 06 वर्ष (03 वर्ष+03 वर्ष)
भूतपूर्व सैनिक (भू.पू.सै.) (अ.जा. / अ.ज.जा.)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु से सैन्य सेवा घटाये जाने के बाद 08 वर्ष (03 वर्ष+05 वर्ष)

(ii) शैक्षणिक योग्यता:— आवेदन फार्म भरने के समय मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 (वरिष्ठ माध्यमिक) उत्तीर्ण।

टिप्पणी:—उम्मीदवार, जिन्होंने आवेदन फार्म भरने के समय शैक्षणिक योग्यता अर्जित नहीं की है, पात्र नहीं होंगे और उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

(iii) व्यावसायिक अपेक्षा:-

कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टकण में गति— 30 शब्द प्रति मिनट।

अथग

कम्प्यूटर पर हिंदी टंकण में गति-25 शब्द प्रति मिनट।

(iv) शारीरिक क्षमता परीक्षा (अर्हक):

(क) पुरूष उम्मीदवार

भूतपूर्व सैनिकों और विभागीय उम्मीदवारों सहित उम्मीदवारों के लिए (आयु–वार) निम्नानुसार होगी:-

आयु	1600 मीटर दौड़	लबी कूद	ऊची कूद
30 वर्ष तक	07 मिनट	12½ फुट (12'6")	3½ फुट (3'6")
30 वर्ष से ऊपर 40 वर्ष तक	08 मिनट	11½ फੂਟ (11'6")	3¼ फुट (3'3")
40 वर्ष से ऊपर	09 मिनट	10½ फुट (10'6")	3 फुट

(ख) महिला उम्मीदवारः

विभागीय उम्मीदवारों और विधवा / तलाकशुदा / न्यायिक तौर पर अलग हुई महिला उम्मीदवारों सहित उम्मीदवारों के लिए (आयु—वार) निम्नानुसार होगी:—

आयु	800 मीटर दौड़	लंबी कूद	ऊची कूद
30 वर्ष तक	05 मिनट	9 फुट	3 ਯੂਟ
30 वर्ष से ऊपर 40 वर्ष तक	06 मिनट	8 फुट	2½ फुट (2'6")
40 वर्ष से ऊपर	07 मिनट	7 फुट	2¼ ਯੂਟ (2'3")

(v) शारीरिक मापदंड:-

(क) पुरूष उम्मीदवार

(i) फंचाई (i) पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी अर्थात् गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा और सिक्किम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मिणपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर के कश्मीर क्षेत्र और लद्दाख राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के निवासी (इस छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिए शारीरिक मापतौल परीक्षा के समय अपने निवास स्थान के सक्षम प्राधिकारी अर्थात् डीसी/डीएम/एसडीएम या तहसीलदार से इस संबंध में प्रमाणपत्र (पर्वतीय क्षेत्र

(ii) अ.ज.जा. उम्मीदवार।

प्रमाणपत्र) प्रस्तुत करना होगा।

(iii) सेवारत, सेवानिवृत्त या दिल्ली पुलिस के मृत कार्मिकों / दिल्ली पुलिस के मल्टी—टास्किंग स्टाफ के पुत्र।

(ii) सीना 78 सें.मी. — 82 सें.मी. (साथ में न्यूनतम 4 सें.मी. विस्तार), निम्नलिखित के लिए 5 सें.मी. की छूट:—

(i) पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी, जिनके लिए उपरोक्त अनुसार प्रमाणपत्र (पर्वतीय क्षेत्र प्रमाणपत्र) प्रस्तुत करना होगा।

(ii) अ.ज.जा. उम्मीदवार।

(iii) सेवारत, सेवानिवृत्त या दिल्ली पुलिस के मृत कार्मिकों / दिल्ली पुलिस के मल्टी—टास्किंग स्टाफ के पुत्र।

टिप्पणी:-सभी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम विस्तार 4 सें.मी. होगा, अन्यथा वे अयोग्य हो जायेंगे।

(ख) महिला उम्मीदवारः

ऊंचाई 157 सें.मी., निम्नलिखित के लिए 5 सें.मी. की छूटः— (i) पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी जिनके लिए उपरोक्त अनुसार प्रमाणपत्र (पर्वतीय क्षेत्र प्रमाणपत्र) प्रस्तुत करना होगा । (ii) अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवार । (iii) सेवारत, सेवानिवृत्त या दिल्ली पुलिस के मृत कार्मिकों/दिल्ली पुलिस के मल्टी—टास्किंग स्टाफ की पुत्रियाँ ।

टिप्पणी:-

- 1. दौड़ में अईता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार लंबी कूद और ऊंची कूद में उपस्थित होने के लिये पात्र होंगे। लंबी कूद और ऊंची कूद को तीन अवसरों में से किसी एक में उत्तीर्ण करना होगा, जो कि प्रत्येक स्पर्द्धा के लिए दिए जायेंगे। दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद में अयोग्यता के विरूद्ध कोई अपील नहीं होगी।
- II. महिला उम्मीदवार, जो गर्भवती हैं, उन्हें शारीरिक क्षमता परीक्षा में शामिल होने की अनुमित नहीं दी जाएगी। उनकी शारीरिक क्षमता परीक्षा "प्रसव की अविध" के बाद आयोजित की जाएगी और तब तक ऐसे मामलों के परिणाम मुहरबंद लिफाफे में रखे जाएंगे।

- दिव्याग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को शारीरिक क्षमता और मापदंड परीक्षाओं से छूट दी जायेगी।
- IV. ऊंचाई / सीना (पुरूष) और ऊंचाई (महिला) में छूट केवल उन दिल्ली पुलिस कार्मिकों / मल्टी टास्किंग स्टाफ के पुत्रों / पुत्रियों को प्रदान की जायेगी, जिन्हें दंडात्मक कार्रवाई के जिएए बर्खास्तगी / सेवा से हटाए जाने / सेवा समाप्ति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के जिए दंडित नहीं किया गया है । अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. / पर्वतीय क्षेत्र श्रेणी से संबंधित दिल्ली पुलिस के कार्मिकों / मल्टी टास्किंग स्टाफ के बच्चे दोहरी छूट प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे । वे या तो अपनी स्वयं की श्रेणी में अथवा दिल्ली पुलिस कार्मिक / दिल्ली पुलिस के मल्टी टास्किंग स्टाफ के बच्चों के तौर पर छूट प्राप्त कर सकते हैं ।

(vi) चिकित्सा मापद ड:-

- (क) उम्मीदवारों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और वे किसी दोष, विकृति या बीमारी से मुक्त होने चाहिये। अपेक्षित दृष्टि दोनों आखों की चश्मे के साथ या बगैर चश्मे के 6 / 12 होनी चाहिए। इस मामले में किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई छूट की अनुमित नहीं है।
- (ख) दिव्याग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए:— अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए तथा चश्मे के साथ या बगैर चश्मे के दोनों आंखों की दृष्टि 6/12 होनी चाहिए। गमन अक्षम (लोकोमोटर) विकलांगता 40% और इससे अधिक (एक अथवा दोनों टांगें प्रभावित) अनुमतेय होगी। इस पद के लिए शारीरिक अपेक्षाएं निम्नलिखित हैं:—

(एफ, पी	पी, एल, बी, एस, बीएल)
कोड	शारीरिक अपेक्षाएं
एफ	हस्तकौशल से कार्य करना (उंगलियों से)
पीपी	खींचकर और धकेलकर कार्य करना
एल	उठाकर कार्य करना
बी	झुककर कार्य करना
एस	बैठ कर कार्य करना (बेंच या कुर्सी पर)
बीएल	दोनों टांगें प्रभावित, परंतु बाजू प्रभावित नहीं

6. चेतावनी:--

- (i) आवेदन पत्र में झूठी सूचना देना अथवा तथ्यात्मक जानकारी छिपाना पद के लिए अयोग्यता मानी जायेगी।
- (ii) किसी भी दस्तावेज अर्थात् शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, दिव्यांग व्यक्ति प्रमाणपत्र, खेल प्रमाणपत्र आदि की जालसाजी/धोखाधड़ी के मामले का किसी भी चरण में पता चलने पर उम्मीदवारी निरस्त किए जाने के अलावा कानून के अनुसार उम्मीदवार के विरुद्ध आपराधिक मामला भी दर्ज़ किया जाएगा।

7. सामान्य अनुदेश:--

- (i) पद के लिए यथा निर्धारित कम्प्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षाएं (पीईएंडएमटी), कम्प्यूटर टंकण परीक्षा, कम्प्यूटर (फार्मेटिंग) परीक्षा और चिकित्सा जांच आदि सहित समूची भर्ती प्रक्रिया केवल दिल्ली में आयोजित की जायेगी।
- (ii) आवेदन शुल्क:— सामान्य (अना.)/अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित पुरूष उम्मीदवार जो इस पद की भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं उन्हें www.delhipolice.nic.in पर ऑनलाइन भुगतान गेटवे प्रणाली के जिरए आवेदन शुल्क के तौर पर ₹100/— (केवल एक सौ रूपये) का भुगतान करना होगा। महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को प्रमाणपत्र/डिस्चार्ज बुक या अनापित प्रमाणपत्र और दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में पीडब्ल्यूडी प्रमाणपत्र की अपलोडिंग के उपरांत आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट है। शुल्क का एक बार भुगतान कर दिये जाने पर किसी भी स्थिति में इसे लौटाया नहीं जायेगा और उपरोक्त के अलावा किसी अन्य पद्धित से भुगतान किया गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन—पत्र सीधे नामंजूर कर दिए जायेंगे तथा किए गए भुगतान को जब्त कर लिया जाएगा।
- (iii) जन्म तिथिः उम्मीदवारों को ज्ञात हो कि केवल मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दर्ज जन्म तिथि आयु के निर्धारण के लिए स्वीकार की जायेगी तथा बाद में किसी प्रकार के परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (iv) अ.पि.व. श्रेणीः अ.पि.व. श्रेणी के अधीन लामों का दावा कर रहे उम्मीदवार केंद्रीय सूची में अधिसूचित जातियों के अनुरूप होंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे. दि.स.) द्वारा जारी अ.पि.व. प्रमाणपत्र, जो अ.पि.व. की केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है, को भी आरक्षण और आयु में छूट के उद्देश्यों के लिए स्वीकार किया जायेगा। प्रमाणपत्र इस उद्देश्य के लिए अधिकृत सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया होना चाहिए। पर्याप्त सबूत के तौर पर कोई अन्य प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। अ.पि.व. में आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह जाति / समुदाय प्रमाणपत्र रखता है और संपन्न वर्ग के अतर्गत नहीं आता है।
- (v) उम्मीदवार जो कि आरक्षित रिक्तियों के तहत विचार किये जाने / या आयु में छूट लेने के इच्छुक हैं उन्हें शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षाएं (पीईएंडएमटी) / दस्तावेज सत्यापन के समय निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाणपत्र अवश्य प्रस्तुत करना चाहिये। अन्यथा, अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. / ईडब्ल्यूएस / भू.पू.से. / विधवा / तलाकशुदा महिला / न्यायिक रूप से अलग हुई महिला / खिलाड़ी / दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के दर्ज के उनके दावे पर विचार नहीं किया जायेगा और उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी। प्रमाणपत्रों के प्रपत्र इस सूचना के साथ दिये गये हैं। किसी अन्य प्रारूप में प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
- (vi) उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि उन्होंने धोखाधड़ी से अ.जा./ अ.ज.जा./अ.पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी, विधवा/ तलाकशुदा महिला/न्यायिक रूप से अलग हुई महिला अथवा दिव्यांग व्यक्ति उम्मीदवार होने का दावा किया हो तो उन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित परीक्षा से स्थाई तौर पर प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।
- (vii) सरकारी /अर्द्ध—सरकारी विभाग में कार्यरत उम्मीदवार अपने कार्यालय / विभाग के विभागाध्यक्ष को सूचना देने के उपरांत आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेजों की जांच के समय उन्हें अपने विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) देना होगा।
- (viii) बायोमीट्रिकः उम्मीदवारों के बायोमीट्रिक सूचना लिए जाने सहित उन्हें भर्ती तथा नियुक्ति के सभी चरणों में पहचान की सत्यापन प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा।
- (ix) पुरुष खिलाड़ियों / महिला खिलाड़ियों के लिए आयु में छूट:— बिंदु सं. 5(i) पर यथा वर्णित आयु में छूट उन पुरुष खिलाड़ियों / महिला खिलाड़ियों को प्रदान की जायेगी, जिन्होंने रिक्तियों के विज्ञापन की तिथि से पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर राज्य अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है। खेलों के क्षेत्र जिनमें छूट उपलब्ध है, नीचे उल्लेख किया गया है। खेल प्रमाणपत्रों के प्रारूप सूचना के साथ संलग्न हैं। केवल वही खेल प्रमाणपत्र स्वीकार किए जायेंगे जिन पर राज्य/राष्ट्रीय खेल परिसंघ के सचिव द्वारा विधिवत सत्यापित उम्मीदवार का फोटोग्राफ लगा होगा।

खेल / स्पर्द्धाएं, जिनके लिए आयु सीमा में छूट है:

तीरंदाजी	साइकलिंग	कबडडी (सर्कल / बीच)	टेनिस
	1	, , ,	
एथलैटिक्स	इक्वेस्ट्रियन	कराट	ट्रायथलान

बैडमिंटन	फुटबाल	खो–खो	वॉलीबाल
बास्केटबाल	जिम्नास्टिक्स	तैराकी	कुश्ती
मुक्केबाज़ी	हॉकी	शूटिंग	भारात्तोलन
क्रिकेट	जुडो	टेबल टेनिस	

(x) भूतपूर्व सैनिक (भू.पू.से.) की परिभाषा

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के का.ज्ञा. सं. 36034 / 5 / 85—स्था.(एससीटी) दिनांक 14.04.1987 में यथा परिभाषित भूतपूर्व सैनिक (भू.पू.से.) की परिभाषा निम्नानुसार है:-

"एक भूतपूर्व सैनिक से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में युद्धक अथवा गैर युद्धक के तौर पर किसी भी रैंक में सेवा की है और

- i) जो ऐसी सेवा से अपनी पेशन अर्जित करने के उपरांत सेवानिवृत्त हुआ है, अथवा
- ii) जिसकी सेवा विमुक्त पुस्तिका (डिस्चार्ज बुक) में भूतपूर्व सैनिक पृष्ठांकित किया गया है,
- iii) जिसे सैन्य सेवा में बाधक अथवा उसके नियंत्रण से बाहर की स्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया है और चिकित्सा या अन्य निःशक्तता पेन्शन प्रदान की गई है, अथवा
- iv) जिसे उसके अपने अनुरोध के अलावा स्थापना में कटौती के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किया गया है, अथवा
- v) जिसे ऐसी सेवा से नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अविध को पूरा करने के बाद उसके अपने अनुरोध पर अथवा कदाचार या अदक्षता के कारण बर्खास्त या डिस्चार्ज / कार्यमुक्त न किया गया हो, और जिसे सेवा उपदान (ग्रेच्युटी) दिया गया हो, तथा इसमें निम्नलिखित श्रेणियों के प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, नामतः :--
 - क) निरंतर मूर्त सेवा वाले पेशन धारी
 - ख) सैन्य सेवा के कारण अशक्त व्यक्ति, और
 - ग) वीरता पुरस्कार विजेता

तथापि 15.11.86 से प्रादेशिक सेना कार्मिकों को भूतपूर्व सैनिक के तौर पर माना जायेगा।

भूतपूर्व सैनिक जिन्हें केंद्रीय राजस्व से भुगतान किया जाता है, यदि उनके डिस्चार्ज प्रमाणपत्र में पूर्व की सेवा को अच्छा या उच्चतर वर्गीकरण / ग्रेडिंग के तौर पर दर्शाया जाता है, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर प्रधान सिपाही (लिपिकीय) के तौर पर पुनः भर्ती किये जाने के पात्र हैं, बशर्ते कि वे खुली प्रतियोगिता से प्रधान सिपाही (लिपिकीय) के लिए शैक्षणिक मानदंडों की पूर्ति करते हैं और आवश्यक स्थायी आदेश जारी करते हुए समय—समय पर पुलिस आयुक्त द्वारा निर्धारित क्षमता / दक्षता परीक्षणों में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं। तथा वे रंगरूटों के लिये निर्धारित मानदंडों के अनुरूप पुलिस सेवा के लिए चिकित्सा की दृष्टि से योग्य हैं।

टिप्पणीः

- I. भूतपूर्व सैनिक जो पहले ही अपने पुनः रोजगार के लिये भूतपूर्व सैनिक को दिये गये आरक्षण के लाभ लेकर नियमित आधार पर समूह 'ग' पदों में केंद्रीय सरकार के अधीन (राज्य सरकार / सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों / स्वायत्त संस्थाओं / साविधिक संस्थाओं / राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सिहत) रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, शुल्क में छूट अथवा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अधीन आरक्षण के लाभ का दावा करने के लिये पात्र नहीं हैं। यद्यपि वे केवल आयु में छूट के लिए पात्र हैं।
- सशस्त्र बलों में भूतपूर्व सैनिक के तौर पर "कॉल अप सर्विस" की अविध को भी आयु में छूट के उद्देश्य के लिये सशस्त्र बलों में की गई सेवा माना जायेगा।
- III. संघ के तीन सशस्त्र बलों के किसी भी भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने के उद्देश्य से भूतपूर्व सैनिक के तौर पर समझे जाने के लिये, उसने पहले ही पद / सेवा के लिये अपना आवेदन प्रस्तुत करने के सगत समय पर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त कर लिया होना चाहिए और / अथवा सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेजी सबूत से अपनी अपेक्षित पात्रता स्थापित करने की स्थिति में होना चाहिए कि यह आवेदन पत्र की बंद होने की तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अविध के भीतर सशस्त्र बलों से नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अविध पूरी कर लेगा।

व्याख्या

संघ के सशस्त्र बलों में सेवारत व्यक्ति, जो कि सेवा से निवृत्ति पर, "भूतपूर्व सैनिक' की श्रेणी के अंतर्गत आ जायंगे को नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि से एक वर्ष पहले पुनः रोज़गार के लिये आवेदन करने और भूतपूर्व सैनिक के तौर पर उपलब्ध सभी रियायतें लेने की अनुमित दी जा सकती है परंतु उन्हें तब तक वर्दी छोड़ने की अनुमित नहीं दी जायेगी जब तक कि वे संघ के सशस्त्र बलों में नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि को पूरा नहीं कर लेते।

ऐसे सभी उम्मीदवारों को जो कि सशस्त्र बलों में सेवारत हैं और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने के इच्छुक हैं, विभाग से अनापित्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा जिसमें साफ तौर पर उनकी सशस्त्र बलों से डिस्चार्ज होने की तिथि का उल्लेख किया गया हो। डिस्चार्ज होने की तिथि / सशस्त्र बलों में नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अविध पूरी होने की तिथि आवेदन पत्र के बंद होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर होनी चाहिये। अनापित्त प्रमाणपत्र, जिसमें सशस्त्र बलों से डिस्चार्ज की तिथि का कोई उल्लेख नहीं होगा; उस पर विचार नहीं किया जायेगा और उनके आवेदनों को बगैर कोई कारण बताए नामंजूर कर दिया जायेगा।

टिप्पणी: एक मैट्रिकुलेट भूतपूर्व सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक शब्द शामिल है, जिसने भारतीय सेना से शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र प्राप्त किया है अथवा नौसेना या वायु सेना में तत्स्थानी प्रमाणपत्र प्राप्त किया है), जिसने संघ के सशस्त्र बलों में कम से कम 15 वर्षों की सेवा की है, आवेदन—पत्र प्राप्ति की बंद होने की तिथि को पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र के तौर पर विचार किया जायेगा।

भर्ती की पद्धति

चयन प्रक्रिया में नीचे क्रमानुसार दी गई अनिवार्य परीक्षाए शामिल होंगी:-

नव । जाजना । । व ज । तुसार वा वि जा विव सरवादि सा । सि वा ।।				
टेस्ट/परीक्षाएं	अधिकतम अंक / अर्हक			
(i) कम्प्यूटर आधारित परीक्षा	100 अंक			
(ii) शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षाएं (पीईएंडएमटी)	अर्हक (क्वालीफाइंग)			
(iii) कम्प्यूटर टंकण परीक्षा	25 अंक			
(iv) कम्प्यूटर (फॉर्मेटिंग) परीक्षा	अर्हक (क्वालीफाइंग)			
अंतिम परिणाम	125 अंक			

9. कम्प्यूटर आधारित परीक्षा—वस्तुनिष्ठ प्रकारः—

सभी उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषयों पर कम्प्यूटर आधारित परीक्षा से गुजरना होगा। गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंक 'नहीं' होंगे। भाग—घ को छोड़कर कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र केवल हिंदी और अंग्रेजी में होंगे।

		प्रश्नो की संख्या	अधिकतम अंक	समय अवधि (सभी पाचों भागों के लिए
भाग–क	सामान्य जागरूकता	20	20	
भाग–ख	मात्रात्मक अभिरूचि (बुनियादी अंकगणितीय कौशल)	20	20	
भाग–ग	सामान्य बुद्धिमत्ता	25	25	90 मिनट
भाग–घ	अंग्रेजी भाषा (बुनियादी ज्ञान)	25	25	
भाग—ड़	कम्प्यूटर मौलिक ज्ञान, एमएस एक्सल, एमएस वर्ड, कम्यूनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू और वेब ब्राउजर्स आदि	10	10	
	कुल	100	100	

कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के लिए निर्देशित पाठ्यक्रम

(क) सामान्य जागरूकताः प्रश्नों को उम्मीदवार के उसके आसपास के बारे में सामान्य जागरूकता और समाज पर इसके अनुप्रयोग की जांच के लिये तैयार किया जाता है। प्रश्नों को उसके ताज़ा घटनाक्रमों तथा रोज़मर्रा अवलोकित होने वाले मामलों की जानकारी और वैज्ञानिक पहलु में उनके अनुभव की जांच करने के लिए भी तैयार किया जाता है जैसा कि एक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। परीक्षा में भारत और इसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न, विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़े प्रश्नों को भी शामिल किया जायेगा। ये प्रश्न कुछ इस तरह के होंगे कि इनके लिए किसी विषयक्षेत्र के विशेष अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होती।

(ख) मात्रात्मक अभिरूचिः

संख्या प्रणालीः संपूर्ण संख्या की गणना, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच संबंध ।

मूलभूत अंकगणितीय संचालनः प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज (साधारण और चक्रवृद्धि), लाभ और हानि, छूट, साझेदारी व्यापार, मिश्रण और एलीगेशन, समय और दूरी, समय और कार्य।

बीजगणितः स्कूल बीजगणित और प्राथमिक करणी (सरल समस्याएं) और रेखीय समीकरणों के रेखांकन की मूल बीजगणितीय पहचान।

ज्यामितिः प्राथमिक ज्यामितीय आंकड़ों और तथ्यों से परिचितः

त्रिभुज और इसके विभिन्न प्रकार के केंद्र, त्रिभुज की सर्वांगसमता और समानता, वृत्त और इसके जीवा, स्पर्शरेखा, एक वृत्त के जीवाओं द्वारा संयोजित कोण, दो या अधिक वृत्तों की सामान्य स्पर्श रेखाए।

मेन्स्युरेशनः त्रिभुज, चतुर्भुज, सम बहुभुज, वृत्त, समकोण प्रिज्म, समकोण वृत्ताकार शंकु, समकोण सर्कुलर सिलिंडर, गोला, गोलार्द्ध, समांतर चतुर्भुज, त्रिकोणीय या वर्गाकार आधार के साथ राइट रेगुलर पिरामिड।

त्रिकोणिमतिः त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोण, ऊँचाई और दूरियाँ (सरल समस्याएँ)।

सांख्यिकीय चार्टः टेबल्स और ग्राफ का उपयोगः हिस्टोग्राम, आवृत्ति बहुभुज, बार—आरेख, पाई—चार्ट।

- (ग) सामान्य बुद्धिमताः इसमें मौखिक और गैर मौखिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल किए जायेंगे। परीक्षा में सिमेंटिक एनालोजी, सिम्बोलिक ऑपरेशन्स, सिम्बोलिक / नंबर एनालॉजी, ट्रैंडस, फिगरल एनालॉजी, स्पेश ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासीफिकेशन, वेन डायग्राम्स, सिम्बोलिक / नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इन्फेरेंसिस, फिगरल क्लासिफिकेशन, पंचड होल / पैटर्न—फोल्डिंग और अनफोल्डिंग, सिमेंटिक सीरिज, फिगरल पैटर्न—फोल्डिंग और कम्पलीशन, संख्या श्रृंखला, एम्बेडिड आंकड़े, आंकड़ा श्रृंखला, तार्किक क्षमता, समस्या समाधान, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, शब्द निर्माण, सामाजिक बुद्धिमत्ता, कोडिंग और डी—कोडिंग से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया जायेगा।
- (घ) अंग्रेजी भाषाः स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनीमस शब्द / होनोनीमस, एंटोनीमस, स्पैलिंग / डिटेक्टिंग मिस—स्पेल्ट वर्ड, इडिऑम्स एंड फ्रेजिस, वन वर्ड सबस्टीट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ संटेशेज, एक्टिव / पैसिव वॉयस ऑफ वर्वस, कन्वर्जन इन्टू डायरेक्ट / इनडायरेक्ट नरेशन, सफलिंग ऑफ संटेश पार्ट्स, सफलिंग ऑफ संटेशेज इन अ पैसेज, क्लोज पैसेज कॉम्प्रिहेंशन पैसेज।

(ड़) कम्प्यूटर की मूलभूत बाते, एमएस एक्सल, एमएस वर्ड, कम्यूनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू और वेब ब्राउजर्स आदि

इस पेपर में निम्नलिखित पर प्रश्नों को शामिल किया जायेगाः

- एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग (वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स, डॉक्यूमेंट्स खोलना और बंद करना, टेक्स्ट क्रिएशन, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग और इसकी प्रस्तुतिकरण विशेषताए)।
- एमएस एक्सल (एलिमेंट्स ऑफ स्प्रैड शीट, सैल्स की एडिटिंग, फक्शन और फार्मूला)
- 3. कम्यूनिकेशन (ई—मेल की बेसिक्स, ई—मेल भेजना / प्राप्त करना और इसके संबद्ध संकार्य)
- 4. इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू और वेब ब्राजर्स (इंटरनेट, इंटरनेट पर सेवाएं, यूआरएल, एचटीटीपी, एफटीपी, वेबसाइटें, ब्लॉग्स, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, सर्च इंजिन्स, चैट, वीडियो कान्फ्रेंसिंग, ई—बैंकिंग) आदि।

10. कम्प्यूटर आधारित परीक्षा की संभावित उत्तर कुंजी डिस्पले / अपलोड करना

कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के आयोजन के बाद, परीक्षा के लिए उत्तर कुंजी दिल्ली पुलिस की वेबसाइट www.delhipolice.nic.in पर डिस्पले/अपलोड की जायेंगी। जो उम्मीदवार कैंप्चरड रिस्पॉन्स से संतुष्ट नहीं हैं, चुनौती दिए गए प्रत्येक प्रश्न/उत्तर के समर्थन में ₹100/— शुल्क के साथ सबूत/दस्तावेजों/समाधान के साथ आवेदन/अभ्यावेदन दायर करते हुए उत्तर कुंजी की अपलोडिंग के 15 दिनों के भीतर चुनौती दे सकते हैं। अभ्यावेदन और शुल्क स्वीकार करने के लिये ऑनलाइन लिंक उपलब्ध कराया जायेगा। हालांकि चुनौतियों पर पुलिस आयुक्त, दिल्ली का निर्णय अंतिम होगा और बाद में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा। निर्धारित अविध के बाद किसी भी स्थित में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

11. शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षाओं (पीईएंडएमटी) में उपस्थित होने के लिए कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम की घोषणा

प्रत्येक वर्ग अर्थात् सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस और भूतपूर्व सैनिक (वर्गानुसार) में विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के बीस (20) गुणा के बराबर उन उम्मीदवारों को जो कम्प्यूटर आधारित परीक्षा की मैरिट रंज में आते हैं तथा न्यूनतम 40% अंक सामान्य/ईडब्ल्यूएस वर्ग में (35% अंक अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. तथा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत 30% अंक) प्राप्त करते हैं, शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षाओं के लिए बुलाया जाएगा। समान अंकों में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के होने पर संबंधित श्रेणी के लिये उक्त समान अंकों वाले सभी उम्मीदवारों को शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षाओं (पीईएंडएमटी) के लिए बुलाया जायेगा। दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) सीधे कम्प्यूटर टंकण परीक्षा के लिए रिक्तियों की संख्या के 20 गुणा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में उत्तीर्ण किये जायेंगे क्योंकि उन्हें शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षाओं (पीईएंडएमटी) से छूट प्राप्त है, हालांकि यह कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक अर्जित किए जाने के विषयाधीन होगा।

12 शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षाएं (पीईएंडएमटी)

बिंदु 5(iv)(क) और बिंदु 5(iv)(ख) में यथा निर्धारित शारीरिक क्षमता परीक्षाओं (दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद) में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को शारीरिक मापदंड परीक्षा अर्थात् ऊंचाई / सीना (पुरूष उम्मीदवार) और ऊंचाई (महिला उम्मीदवार) में उपस्थित होना होगा। जो उम्मीदवार अपने शारीरिक मापदंड से संतुष्ट नहीं होते हैं उन्हें शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीईएंडएमटी) वाले दिन ही अयोग्यता के खिलाफ एक अपील करनी होगी। बाद के चरण में किसी भी आवेदन / अपील पर विचार नहीं किया जायेगा।

टिप्पणीः दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों (पुरूष / महिला) को शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षाओं से छूट होगी।

13. पात्रता मापदंड के लिए मूल दस्तावेजों / प्रमाणपत्रों की जांच

शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षाओं (पीईएंडएमटी) की सभी स्पर्द्धाओं में सफल घोषित किए जाने के उपरांत आयु, शिक्षा, जाति, पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित सभी मूल दस्तावेज / प्रमाणपत्र, अनापत्ति प्रमाणपत्र / डिस्चार्ज प्रमाणपत्र (भूतपूर्व सैनिक के मामले में), खेल प्रमाणपत्र, विधवा / तलाकशुदा / न्यायिक रूप से अलग हुई महिला के तौर पर आयु में छूट लेने का सबूत, दिल्ली पुलिस में सेवारत विभागीय उम्मीदवारों के मामले में सेवा प्रमाणपत्र जिसमें भर्ती की तिथि का उल्लेख हो और दिल्ली पुलिस कार्मिक के बच्चे संबंधी प्रमाणपत्र और यदि पूर्व से सरकारी / अर्द्ध सरकारी संगठनों में सेवारत हैं तो अनापत्ति प्रमाणपत्र की जांच की जाएगी जबिक दिव्यांग व्यक्तियों

(पीडब्ल्यूडी) के मामले में कम्प्यूटर टंकण परीक्षा के समय उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच की जायेगी। दस्तावेजों की अंतिम जांच नियुक्ति पत्र जारी करने के समय भी पुनः की जायेगी। उम्मीदवारों को सभी दस्तावेजों / प्रमाणपत्रों की स्वयं सत्यापित फोटो प्रतियां प्रस्तुत करना होगा।

14 कम्प्यूटर टकण परीक्षा (अधिकतम 25 अक)

जो उम्मीदवार शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षाओं (पीईएंडएमटी) में अर्हता प्राप्त करेंगे, तथा दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी), जो कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करेंगे, उन्हें कम्प्यूटर टंकण परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा, जिसकी अविध 10 मिनट की होगी। अंतिम परिणाम तैयार करते समय टंकण परीक्षा के अंकों को गणना में लिया जायेगा। उम्मीदवारों को टंकण परीक्षा में प्राप्त गति के अनुरूप अंक आवंटित किए जायेंगे।

15 कम्प्यूटर (फॉर्मेटिंग) परीक्षा (अर्हक)

जो उम्मीदवार कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे उन्हें कम्प्यूटर (फॉर्मेटिंग) परीक्षा के लिये बुलाया जायेगा और उनकी एमएस—वर्ड, एमएस—पावर पाइट और एमएस—एक्सल पर परीक्षा ली जाएगी जो कि अईक (क्वालीफाइंग) प्रकृति की होगी। उम्मीदवारों को प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग से 10 मिनट का समय दिया जायेगा। उम्मीदवारों को उसी प्रकार फॉर्मेट करना होगा जैसा कि उन्हें दिए गए हैंड—आउट में है और इसे प्रिंटर पर प्रिंट करना होगा। सामान्यतः प्रयोग में आने वाले निम्नलिखित फॉर्मेटिंग फीचर्स की जांच की जाएगी:—

गएस—वर्ड समयः 10 मिनट

(i)	पैराग्राफों की इंडेंटिंग	(xi)	सुपरस्क्रिप्ट
(ii)	अंडरलाइन	(xii)	सबस्क्रिप्ट
(iii)	विभिन्न प्रकार के फॉन्ट का प्रयोग	(xiii)	पेज नबरिंग
(iv)	पैराग्राफों के नंबर देना	(xiv)	चिन्ह देना
(v)	लेफ्ट / राइट मार्जिन सेट करना	(xv)	टेबल को ड्रॉ / इन्सर्ट करना
(vi)	टेक्स्ट को बोल्ड में सेलेक्ट करना		बुलेट्स / नंबरिंग
(vii)	इटेलिक्स	(xvii)	केस चेंज करना
(viii)	विभिन्न प्रकार के फॉन्ट आकार का प्रयोग	(xviii)	पैराग्राफों की सेटिंग
(ix)	सेंटर, लेफ्ट, राइट, जस्टिफिकेशन	(xix)	कुछ टेक्स्ट हैडर के रूप में
(x)	पैसेज की लाइन स्पेसिंग, अर्थात् सिंगल, डबल आदि	(xx)	कुछ टेक्स्ट फूटर के रूप में

एमएस–पावर प्वाईट			समयः 10 मिनट
(i)	हैडर इन्सर्ट करना	(xi)	स्लाइड की बैकग्राउड स्टाइल
(ii)	टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग	(xii)	स्लाइड का डिजाइन
(iii)	हाइपरलिंक क्रिएट करना	(xiii)	प्रिंट हैंडआउट
(iv)	इन्सर्ट चार्ट / ग्राफ	(xiv)	इन्सर्ट क्लिपआर्ट
(v)	टेबल ड्रॉ करना	(xv)	इन्सर्ट फूटर
(vi)	टेबल में ऑटो नंबर इन्सर्ट करना	(xvi)	स्लाइड नंबरिंग
(vii)	टेबल में बुलेट इन्सर्ट करना	(xvii)	इन्सर्ट पिक्चर
(viii)	इन्सर्ट शेप्स	(xviii)	एमएस वर्ड के साथ
			हैंडआउट पब्लिश करना
(ix)	स्मार्ट आर्ट इन्सर्ट करना	(xix)	इन्सर्ट एक्शन
(x)	वर्ड आर्ट के साथ टेक्स्ट इन्सर्ट करना	(xx)	टेक्स्ट की अलाइनमेंट

एमए	एमएस–एक्सल		समयः 10 मिनट		
(i)	इन्सर्ट चार्ट / ग्राफ	(xi)	रुपये के तौर पर फॉर्मेट सैल		
(ii)	रैप टेक्स्ट	(xii)	इन्सर्ट क्लिपआर्ट		
(iii)	मर्ज सैल्स	(xiii)	फॉन्ट साइज़		
(iv)	टेक्स्ट को सेंटर करना	(xiv)	फॉन्ट स्टाइल		
(v)	टेक्स्ट को सेंटर अलाइन	(xv)	फॉन्ट कलर		
(vi)	टेक्स्ट का ओरिएंटेशन	(xvi)	इन्सर्ट फूटर		
(vii)	टेक्स्ट बोल्ड करना	(xvii)	शॉर्ट डाटा		
(viii)	टेक्स्ट अंडरलाइन करना	(xviii)	फॉर्मूला इन्सर्ट करना		
(ix)	इटेलिक्स	(xix)	शेप्स इन्सर्ट करना		
(x)	हैडर इन्सर्ट करना	(xx)	संख्या और दशमलव स्थानों के तौर पर सैल फॉर्मेट करना		
1		I	147 (11) 41 (10) 4/170 4/11		

फॉर्मेटिंग के प्रत्येक फीचर के लिए 1/2 अंक के साथ प्रत्येक परीक्षा में ऊपर सूचीबद्ध किए अनुसार फॉर्मेटिंग के 20 फीचर्स की जांच की जायेगी। फॉर्मेटिंग फीचर्स के मामले में यदि उम्मीदवार नमूने के अनुसार फॉर्मेटिंग करते हैं, प्रत्येक के लिए 1/2 अंक दिए जायेंगे। अन्यथा कोई अंक नहीं दिया जायेगा। प्रत्येक परीक्षा के लिए फार्मेटिंग फीचर्स के लिए 10 अंकों में से उम्मीदवार को अर्हता के लिए प्रत्येक परीक्षा में कम से कम 6 अंक प्राप्त करने चाहिये। एडिटिंग टूल्स के प्रयोग द्वारा गलतियां सुधारने के लिए उम्मीदवारों के लिए कोई रोक नहीं है।

16 अतिम परिणाम

- (i) कम्प्यूटर (फॉर्मेटिंग) परीक्षा में अर्हक (क्वालीफाइड) उम्मीदवारों की सूची में से चयनित उम्मीदवारों की सूची (विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के अनुरूप) (वर्गानुसार) पूर्णतः कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (100 अंकों) तथा कम्प्यूटर टंकण परीक्षा (25 अंक) की मैरिट के आधार पर तैयार की जारोगी।
- (ii) अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. उम्मीदवार, जिनका चयन अन्य समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों के साथ बिना मानदंड छूट के उनकी अपनी स्वयं की मैरिट पर होता है, उन्हें अपने वर्ग की आरक्षित भाग की रिक्तियों के अंतर्गत समायोजित नहीं किया जायेगा। ऐसे अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. उम्मीदवारों को उनकी सम्पूर्ण मैरिट सूची में स्थान के अनुसार सामान्य / अनारक्षित रिक्तियों के तहत समायोजित किया जायेगा। आरक्षित रिक्तियों को पात्र अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. उम्मीदवारों में से भरा जायेगा जिसमें वे अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. उम्मीदवार होंगे जो अनारिक्षत श्रेणी की मैरिट सूची में अंतिम सामान्य उम्मीदवार से मैरिट में नीचे हैं परंतु छूट प्रदत्त मानदंडों से नियुक्ति के लिये अन्य प्रकार से सुयोग्य पाए जाते हैं।
- (iii) ईडब्ल्यूएस से संबंधित किसी व्यक्ति को अनारक्षित श्रेणी के तहत नियुक्ति के लिये प्रतिस्पर्द्धा करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ईडब्ल्यूएस से संबंधित व्यक्ति जिसका चयन मैरिट के आधार पर किया जाता है और आरक्षण के तहत नहीं है, उसकी गणना आरक्षण हेत् रखे गए कोटा के तहत नहीं की जायेगी।
- (iv) उम्मीदवारों को पद के लिए यथा निर्धारित चिकित्सा फिटनेस तथा उनके चरित्र और पूर्ववृत्त के पुलिस सत्यापन के विषयाधीन अनंतिम तौर पर चयनित किया जाएगा।

टिप्पणीः सभी चयनित उम्मीदवारों के मामलों पर, जिनके विरूद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज/जांच लंबित/अदालत में ट्रायल लंबित है कानून के अनुसार स्थायी आदेश सं. 398/2018 के प्रावधानों के अनुरूप विचार किया जायेगा। चयनित विभागीय उम्मीदवारों के मामले, जिनके विरूद्ध कोई विभागीय जांच/प्रारंभिक जांच/आपराधिक मामला/सतर्कता जांच आदि लंबित है, उनके मामलों को अंतिम रूप से निपटारा होने तक लंबित रखा जायेगा।

17 समान अको के मामलो का समाधान

उन मामलों में जहां एक से अधिक उम्मीदवार समान कुल अंक अर्जित कर लेते हैं, बराबरी के मामले को नीचे वर्णित एक के बाद एक पद्धतियों से सुलझाया जायेगा:-

- आयु में बड़े उम्मीदवारों को वरीयता दी जायेगी।
- यदि जन्म तिथि भी समान है, उम्मीदवार जिसने कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में अधिक अक अर्जित किए हैं, को वरीयता दी जायेगी।
- यदि जन्म तिथि और कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में अक भी समान हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर क्रमानुसार जिस उम्मीदवार का नाम पहले आता है, उसके आधार पर मामले को हल किया जायेगा।

18. परीक्षाओं के सबध में अनुदेश

- कम्प्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीईएंडएमटी), कम्प्यूटर टकण परीक्षा और कम्प्यूटर (फॉर्मेटिंग) परीक्षा की तिथि दिल्ली पुलिस की वेबसाइट www.delhipolice.nic.in पर अधिसूचित की जायेगी।
- कम्प्यूटर आधारित परीक्षा और पद के लिये निर्धारित अन्य परीक्षाओं के लिये प्रवेश-पत्र दिल्ली पुलिस वेबसाइट www.delhipolice.nic.in पर अपलोड किए जायेंगे। उम्मीदवार दिल्ली पुलिस वेबसाइट से बुलावा पत्र / प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अलग से कोई बुलावा पत्र / प्रवेश पत्र नहीं भेजा जायेगा।
- दिल्ली पुलिस कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के समय पात्रता तथा अन्य पहलुओं के लिये आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगी तथा, इस प्रकार उम्मीदवारी केवल अस्थायी तौर पर स्वीकार की जायेगी।
- किसी भी स्थिति में कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के लिये परीक्षा के केंद्र में किसी बदलाव की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली पुलिस के पास किसी भी केंद्र को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है तथा वह उस केंद्र के उम्मीदवारों को अन्य केंद्र पर उपस्थित होने के लिये कह सकती है। दिल्ली पुलिस के पास किसी केंद्र के उम्मीदवारों को किसी अन्य केंद्र पर परीक्षा देने के लिए जाने को कहने का अधिकार भी सुरक्षित है।
- उम्मीदवारों को मोबाइल फोन, कैलकुलेटर्स या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक / इलेक्ट्रिकल उपकरण के इस्तेमाल की अनुमित नहीं है। उम्मीदवारों को परीक्षा / परीक्षणों के दौरान मोबाइल फोन, कैलकुलेटर्स या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक / इलेक्ट्रिकल उपकरण आदि लेकर नहीं आना चाहिये। ऐसे उपकरणों को रखना, भले ही प्रयोग में हैं या नहीं, परीक्षा में "अनुचित तरीकों का प्रयोग" माना जायेगा और ऐसे उम्मीदवारों के विरूद्ध उचित कार्रवाई की जायेगी।
- पद के लिए यथा निर्धारित कम्प्यूटर आधारित परीक्षा / कम्प्यूटर टंकण परीक्षा / कम्प्यूटर (फार्मेटिंग) परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के पुनःमूल्यांकन अथवा किसी अन्य परीक्षण/ परीक्षाओं के पुनः आयोजन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।
- दिल्ली पुलिस के पास कम्प्यूटर आधारित परीक्षा से कोई भी प्रश्न/प्रश्नों को निरस्त करने / हटाने का अधिकार सुरक्षित है।
- कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा अर्जित अंक सामान्यीकरण प्रक्रिया के विषयाधीन होंगे जिसे इक्वी-पर्सेटाइल इक्विटिंग कहा जाता है। इस प्रकार उत्पन्न और सामान्यीकृत पर्सेंटाइल रैंकों को मैरिट सूची को अंतिम रूप देने के लिए इनपुट मानदंड के तौर पर प्रयोग में लाया जायेगा।

19. बुनियादी प्रशिक्षण पाठयक्रम

पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को 4 माह की अवधि के लिए अथवा पुलिस आयुक्त, दिल्ली द्वारा समय—समय पर यथा निर्धारित अवधि के लिये दिल्ली में प्रशिक्षण केंद्र पर आवासीय बेसिक प्रशिक्षण पाठयक्रम में शामिल होना होगा तथा प्रशिक्षण स्थायी आदेश के अनुसार पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज / पुलिस प्रशिक्षण स्कूल से सफलतापूर्वक पास आऊट होना होगा ।

टिप्पणी:-

- दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों को आउटडोर प्रशिक्षण से छूट होगी। लेकिन वे पद के लिए प्रशिक्षण स्थाई आदेश के अनुसार इंडोर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
- पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज / स्कूल में शिक्षण का माध्यम हिंदी होगा।

महत्वपूर्ण अनुदेश:-

- चेतावनी : आवेदन प्रपत्र में झूठी सूचना दिया जाना अथवा तथ्यात्मक सूचना को छिपाना, पद के लिए अयोग्यता मानी जायेगी। दस्तावेज / प्रमाणपत्र में किसी भी प्रकार की धोखाधडी / जालसाजी का किसी भी चरण में पता चलने पर उम्मीदवारी निरस्त किए जाने के अलावा उम्मीदवार के विरूद्ध आपराधिक मामला भी दर्ज किया जायेगा।
- उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए सलाह दी जाती है कि वे इस सूचना में दिए गए विस्तृत अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। यह सूचना वेबसाइटः www.delhipolice.nic.in पर भी उपलब्ध है।
- ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने की पद्धति दिल्ली पुलिस की वेबसाइट www.delhipolice.nic.in पर उपलब्ध है।
- अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. / ईडब्ल्यूएस / भूतपूर्व सैनिक और दिव्याग व्यक्तियों के तौर पर आरक्षण का लाभ लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि वे सूचना में यथा निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार अपेक्षित पात्रता मानदंड पूरा करते हैं। उनके पास निर्धारित प्रारूप में अपने दावे के समर्थन में प्रमाणपत्र भी होने चाहिये क्योंकि शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीईएंडएमटी) के समय और दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के मामले में कम्प्यूटर टंकण परीक्षा के समय उनसे प्रमाणपत्रों की प्रतियां मांगी जायेंगी। अ.पि.व. / ईडबल्युएस उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके पास इस सूचना में निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र मे अ.पि.व. / ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है। अपेक्षित दस्तावेजों के बगैर रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों को आगे परीक्षा / टैस्ट में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- पात्रता, आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने, झूठी सूचना के लिए दण्ड, चयन की पद्धति, परीक्षा / टेस्ट के आयोजन, परीक्षा केंद्र के आबंटन और मैरिट को तैयार करने से संबंधित सभी मामलों में दिल्ली पुलिस का निर्णय अतिम और उम्मीदवारों के लिये बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में किसी भी पूछताछ / पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा।
- **न्यायालीय क्षेत्राधिकार**: इस भर्ती के संबंध में कोई भी विवाद और गतिरोध केवल दिल्ली की अदालतों / प्राधिकरणों की प्रादेशिक सीमा के अधीन होगा।
- मोबाईल और सहायक उपकरण तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा / टैस्ट स्थलों के परिसरों के भीतर प्रतिबंधित हैं। ऐसे उपकरण रखने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी तत्काल निरस्त कर दी जायेगी। दिल्ली पुलिस इन्हें रखने को 'अनुचित तरीकों का प्रयोग' मानेगी।
- आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन पद्धति से स्वीकार किए जायेंगे। किसी अन्य पद्धति से आवेदन कर रहे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी उसी समय नामंजूर कर दी जायेगी।
- अनेक आवेदन प्रस्तुत करना—उम्मीदवारों को केवल एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना है। अनेक आवेदनों को नामजूर कर दिया जायेगा। यह सुनिश्चित करना उम्मीदवार की जिम्मेदारी है कि वह इस परीक्षा—2019 के लिए केवल एक बार उपस्थित होता है। किसी भी चरण में यदि यह पाया जाता है कि वह उक्त परीक्षा में एक से अधिक बार उपस्थित हुआ है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- अपूर्ण आवेदनों को तत्काल नामंजूर कर दिया जायेगा और इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा। ऊपर वर्णित अंतिम तिथि के उपरांत किसी भी आवेदन-पत्र को स्वीकार नहीं किया जायेगा और दिल्ली पुलिस उम्मीदवार को पेश आने वाली किसी इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट संबंधी समस्या आदि के लिये जिम्मेदार नहीं होगी।

- दिल्ली पुलिस के पास प्रशासनिक कारणों से और परीक्षा / टैस्ट में अनुचित तरीके, धोखाधड़ी या अन्य अनियमितताओं / कदाचारों का पता चलने पर परीक्षा के किसी भाग या समूची प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। दिल्ली पुलिस ऑनलाइन आवेदन का पंजीकरण सफलतापूर्वक पूरा होने के संबंध में ऑनलाइन आवेदन कर रहे उम्मीदवारों को एसएमएस रई-मेल के द्वारा पावती किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए उम्मीदवार दिल्ली पुलिस भर्ती प्रकोष्ट सहायता केन्द्र 13. (हेल्पडेस्क) भर्ती प्रकोष्ट, नई पुलिस लाईन, किंग्जवे कैंप, दिल्ली—110009 में नीचे दिये गये फोन नबरों पर शनिवार, रविवार और राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में प्रातः 09:30 बजे से साय 06:00 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं: 011-27412715 011-27241205 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पास आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र (कम्प्यूटर आधारित परीक्षा और पद के लिये निर्धारित अन्य परीक्षाओं के समय) तत्काल संदर्भ के लिये
- तैयार रखें। उम्मीदवारों को कम से कम दो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ और एक फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे कि ड्राईविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय / कॉलेज से जारी पहचान पत्र, आयकर पैन कार्ड, नियोक्ता आईडी कार्ड मूल रूप में परीक्षा केंद्र पर लेकर आना चाहिये, ऐसा न करने पर उन्हें परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- धुंधले फोटोग्राफ / हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्र को सीधे ही निरस्त कर दिया जायेगा।
- यदि किसी भी चरण में उम्मीदवार की अपात्रता का पता चलता है तो बगैर सूचना दिये 16. उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- पहले से घोषित अनुसूची में कोई भी परिवर्तन उपायुक्त पुलिस/भर्ती, नई पुलिस लाईन, किंग्जवे कैंप, दिल्ली—110059 के नोटिस बोर्ड और दिल्ली पुलिस की वेबसाइटः www.delhipolice.nic.in पर घोषित किया जायेगा।
- दिल्ली पुलिस में भर्ती पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष और आवेदकों के प्रदर्शन के आधार पर होती है। दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिए किसी भी उम्मीदवार के लिए नकद या अन्य प्रकार से कोई धनराशि का भुगतान करना अपेक्षित नहीं है। यदि उनसे कोई व्यक्ति धन या किसी अन्य प्रकार का लाभ उठाने के लिए संपर्क करता है तो वे इस मामले की सूचना पुलिस उपायुक्त / भर्ती, नई पुलिस लाईन, किंग्जवे कैंप, दिल्ली अथवा स्थानीय पुलिस को दे
- उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता नहीं दिया जायेगा।
- शब्दों / अनुदेशों की व्याख्या में कोई भी अंतर होने पर अग्रेजी रूपांतर मान्य 20.
- अस्वीकरणः इस विज्ञापन और वेबसाइट में दी गई सूचना केवल निर्देशात्मक है। 21. किसी प्रकार की अस्पष्टता के मामले में दिल्ली पुलिस/भारत सरकार के मौजूदा नियम और विनियम अतिम हों गे।

(एम आई हैदर) उपायुक्त पुलिस, स्थापना, दिल्ली

अनुलग्नक-क

फार्म-1

(किसी एक मान्यता प्राप्त स्पर्धा / खेलों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

केंद्रीय सरकार के अधीन समूह 'ग' सेवाओं में रोजगार के लिये

.......की राष्ट्रीय परिसंघ/राष्ट्रीय एसोसिएशन (भारतीय ओलंपिक संघ से संबद्ध)

जारीकर्ता प्राधिकारी से विधिवत हस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ

उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र	
प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी	
गुत्र / पत्नी / पुत्री श्रीजन्म	तिथि
नेवासीसेसे	(पूर्ण पता) न तक में
भायोजितप्रतियोगिता / टूर्नामेंट में में देश का प्रतिनिधित्व किया है।	की स्पर्धा / खेल
ऊपर वर्णित प्रतियोगिता / टूर्नामेंट में व्यक्तिगत / टीम में प्राप्त	त स्थानथा ।
यह प्रमाणपत्रकी राष् हार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर दिया जा रहा है।	ट्रीय परिसंघ/राष्ट्रीय एसोसिएशन के
थान	हस्ताक्षर
तेथि	नाम
	पदनाम
	परिसंघ / राष्ट्रीय एसोसिशन का नाम
	पता
गोटः यह प्रमाणपत्र केवल तभी वैध माना जाएगा जब इस एसोसिएशन ने हस्ताक्षर किए होंगे।	
 நூட்_2	अनुलग्नक—ख

(किसी एक मान्यता प्राप्त स्पर्धा / खेलों में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत में किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिये)

.....राज्य की एसोसिएशन (भारतीय ओलंपिक संघ से संबद्ध)

केंद्रीय सरकार के अधीन समूह 'ग' सेवाओं में रोजगार के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती /कमारी

जारीकर्ता प्राधिकारी से विधिवत हस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ

	प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी		पुत्र	/पत्नी / पुत्री
श्री	जन्म तिथि			
	(पूर्ण पता) ने		से	
तक	में आयोजित`` मंं आयोजित	खेल / स्पर्धा मे	i राष्ट्रीय प्रतियोर्ा	गेता / टूर्नामेंट
में	राज्य का प्रतिनिधित्व किया है।			, ,
	ऊपर वर्णित प्रतियोगिता / टूर्नामेंट में व्यक्तिगत / टीग	न में प्राप्त स्थान .		था ।
	यह प्रमाणपत्रकी राज्य एसोसिएशन	के कार्यालय में	उपलब्ध रिकॉर्ड	के आधार पर
दिया	ं जा रहा है।			

स्थान	**जाति / जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की सूची:
तिथि	(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलक्टर/
हस्ताक्षर	प्रथम श्रेणी स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट/सब—डिवीजिनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/
नाम	तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यपालक मजिस्ट्रेट
पदनाम	(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
राज्य एसोसिएशन / परिसंघ का नामपता पता	(iii) कम से कम तहसीलदार के स्तर का राजस्व अधिकारी
4(1	। (iv) उस क्षेत्र का सब–डिवीजनल अधिकारी, जहां अभ्यर्थी और ∕ या उसका परिवार सामान्यतया निवास
मोहर	करता है
नोटः यह प्रमाणपत्र केवल तभी वैध माना जायेगा जब इस पर सचिव, राज्य एसोसिएशन ने हस्ताक्षर किए होंगे	नोट : तमिलनाडु राज्य से संबंधित अ.ज.जा. अभ्यर्थी केवल मण्डल राजस्व अधिकारी से ही जाति प्रमाणपत्र
	प्रस्तुत करें।
अनुलग्नक—ग	
अ.जा. / अ.ज.जा. प्रमाण–पत्र का प्रारूप	अनुलग्नक—घ
जो अभ्यर्थी, किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होने का दावा करता है, उसे अपने	भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों
दावे के समर्थन में जिले, जिसमें उसके माता—िपता (या उत्तरजीवी माता—िपता) सामान्यतः निवास करते हैं,	के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप
के जिलाधिकारी अथवा सब डिवीजनल अधिकारी अथवा किसी अन्य अधिकारी से, जिसे ऐसा प्रमाणपत्र	प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारीपुत्र / पुत्री श्रीपुत्र / पुत्री श्री
जारी करने के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी नामित किया गया है, नीचे दिए गए फॉर्म	निवासी ग्राम जिला / राज्य में
में प्रमाणपत्र की सत्यापित / प्रमाणित प्रति जमा करना होगा। यदि उसके माता—पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, तो प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए, जिसमें अभ्यर्थी स्वयं	समुदाय के अंतर्गत आते हैं। इस जाति को(उप जाति का उल्लेख करें)। के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के तौर पर मान्यता प्राप्त है :
अपनी शिक्षा के अलावा अन्य उद्देश्य से सामान्यतः निवास करता है।	
(भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/	(i) भारत के असाधारण राजपत्र भाग—1, सेक्शन—1, संख्या 186 में दिनांक 13 सितम्बर, 1993 को प्रकाशित संकल्प संख्या 12011 / 68 / 93—बी सी सी (सी) दिनांक 10 सितम्बर, 1993
अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्रारूप)	• •
यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*, जो	(ii) भारत के असाधारण राजपत्र भाग—1, सेक्शन—1, संख्या 163 में दिनांक 20 अक्तूबर, 1994, को प्रकाशित संकल्प संख्या 12011 / 9 / 94 बी सी सी, दिनांक 19 अक्टूबर 1994.
श्री के पुत्र/पुत्री हैं और गाँव/शहर*	
जिला / डिवीजन* राज्य / संघशासित* क्षेत्र	(iii) भारत के असाधारण राजपत्र भाग—1, सेक्शन—1, संख्या 88 में दिनांक 25 मई, 1995 को प्रकाशित संकल्प संख्या 12011 / 07 / 95—बी सी सी, दिनांक 24 मई, 1995
का निवासी है औरजाति / जनजाति से संबंधित है, जिसे निम्नानुसार	
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता दी गई है :	(iv) संकल्प संख्या 12011/96/94—बीसीसी दिनांक 09/03/96
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950*	(v) भारत के असाधारण राजपत्र भाग—1, सेक्शन—1, संख्या 210 में दिनांक 11 दिसम्बर, 1996 को प्रकाशित संकल्प संख्या 12011 / 44 / 96—बी सी सी, दिनांक 06 दिसम्बर, 1996
सविधान (अनुसूचित जाति) (संघशासित क्षेत्र) आदेश, 1951* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघशासित	
क्षेत्र) आदेश, 1951*	(vi) संकल्प संख्या 12011 / 13 / 97—बीसीसी दिनांक 03 / 12 / 97
, अनुसूचित जाति और जनजाति (संशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब	(vii) संकल्प संख्या 12011 / 99 / 94—बीसीसी दिनांक 11 / 12 / 97
पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम,	(viii) संकल्प संख्या 12011 / 68 / 98—बीसीसी दिनांक 27 / 10 / 99
1971 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा	(ix) भारत के असाधारण राजपत्र भाग—1, सेक्शन—1, संख्या 270 में दिनांक 6 दिसम्बर 1999 को
यथा संशोधित	प्रकाशित संकल्प संख्या 12011 / 88 / 98—बीसीसी, दिनांक 6 / 12 / 99
संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956@	(x) भारत के असाधारण राजपत्र भाग—1, सेक्शन—1, संख्या 71 में दिनांक 4 अप्रैल 2000 को प्रकाशित
संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959@, अनुसूचित जाति और	संकल्प संख्या 12011 / 36 / 99—बीसीसी
अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम) 1976@ द्वारा यथा संशोधित	(xi) भारत के असाधारण राजपत्र भाग—1, सेक्शन—1, संख्या 210 में दिनांक 21 सितंबर, 2000 को
संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962@	प्रकाशित संकल्प संख्या 12011 / 44 / 99—बीसीसी, दिनांक 21 / 09 / 2000
संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@	(xii) संकल्प संख्या 12015 / 9 / 2000—बीसीसी दिनांक 06 / 09 / 2001
संविधान (पुड्डुचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@	(1) संकल्प संख्या 12011 / 1 / 2001—बीसीसी दिनांक 19 / 06 / 2003
संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@	(2) संकल्प संख्या 12011 / 4 / 2002—बीसीसी दिनांक 13 / 01 / 2004
संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@	(3) भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 सेक्शन 1 संख्या 210 दिनांक 16/01/2006 में प्रकाशित
संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@	संकल्प संख्या 12011 / 9 / 2004—बीसीसी दिनांक 16 / 01 / 2006
संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@	श्री / श्रीमती / कुमारीऔर / या उनका परिवार सामान्यतः
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@	जिलाराज्यमें निवास करता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@	भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. संख्या 36012/22/93—स्था० (एससीटी) दिनांक 08.09.1993, जो कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. संख्या
संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@	36033 / 3 / 2004—स्था. (आरक्षण) दिनांक 09.03.2004 के तहत संशोधित किया गया है, के कालम–3 में
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, अधिनियम, 1990@	वर्णित व्यक्तियों / वर्गों (संपन्न वर्गों) के अंतर्गत नहीं आते हैं ।
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991@	दिनांक :
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991@	जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/सक्षम प्राधिकारी
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996	मुहर
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002	िटप्पणीः
अंगुसू यरा जारा अर्पु सूचरा जनजारा आदश (संशोधन) अधिनयम, 2002 संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002	क) यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' का अर्थ वही है, जैसा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अनुच्छेद 20
	में किया गया है।
संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, २००२	ख. जाति प्रमाण–पत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारियों का उल्लेख नीचे किया गया है:–
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, २००७	(i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी
%2. एक राज्य / संघशासित प्रदेश से उत्प्रवासित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू।	कलेक्टर / प्रथम श्रेणी स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट / सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट /
	कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त / (जो प्रथम श्रेणी स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट के रैंक से
2. यह प्रमाणपत्र श्री / श्रीमती, जो श्री / श्रीमती / कुमारी*	कम न हो)
के माता / पिता हैं और जोराज्य / संघ शासित क्षेत्र* के	(ii) चीफ प्रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त चीफ प्रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट ।
गांव / शहर के निवासी हैं, और जो जाति / जनजाति से संबंधित हैं, जिसे द्वारा दिनांक	(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के रैंक से कम न हो;
को जारी पत्र द्वारा राज्य/संघशासित क्षेत्र' में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता	(iv) उस क्षेत्र का उपमण्डल अधिकारी जहां उम्मीदवार सामान्यतः निवास करता है।
दी गई है, को जारी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है।	अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला वचनपत्र
3. श्री /श्रीमती / कुमारी और / या* उसका परिवार सामान्यतः	. ~ ~
राज्य / संघशासित क्षेत्र के	घोषणा
गांव / शहर* में सामान्यतया निवास करता है. राज्य / संघशासित क्षेत्र	मैं निवासी गांव / नगर / शहर
हस्ताक्षर	राज्यएत्दद्वारा घोषणा करता हूं कि मैं(अपनी उप जाति का उल्लेख करें) समुदाय से संबंधित हूं
**पदनाम	जिसकी भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय आदेश संख्या
(कार्यालय की मुहर सहित)	36012/22/93 स्था (एससीटी) के अनुसार एक पिछड़े वर्ग के रूप में सरकारी सेवा में आरक्षण देने
(कायालय का मुहर साहत) स्थान	के उद्देश्य से पहचान की गई है, मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं दिनांक 08.09.1993 के ऊपर
स्थान तिथि	वर्णित कार्यालय ज्ञापन, तथा इसके बाद जारी का.ज्ञा. सं. 36033/3/2004—स्थापना (आरक्षण),
	दिनांक 09.03.2004, के कॉलम 3 में दर्शाए गए व्यक्तियों, वर्गों (संपन्न वर्ग) से संबंधित नहीं हूँ ।
*जो शब्द लागू न हो उसे काट दें @ कृपया विनिर्दिष्ट राष्ट्रपति आदेश का उल्लेख करें % जो लागू न हो,	रथानः
उस अनुच्छेद को काट दें।	तारीखः
नोट : यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः निवास करता है का वही अर्थ है जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,	उम्मीदवार के हस्ताक्षर उम्मीदवार का नाम
1980 के अनुच्छेद 20 में है।	

उम्मीदवार का नाम

अनुलग्नक—ड़ सरकार (प्रमाण—पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)	***टिप्पणी 3ः "परिवार" द्वारा विभिन्न ठिकानों या विभिन्न स्थानों / शहरों में धारित संपत्ति को ईडब्ल्यूएस दर्जे के निर्धारण के लिए भूमि या संपत्ति धारिता जांच करते समय परस्पर जोड़ दिया गया है।
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और संपत्ति प्रमाण—पत्र प्रमाण—पत्र संख्या	अनुलग्नक—च अभ्यर्थी को सेवारत/सेवानिवृत्त/दिल्ली पुलिस के मृत कार्मिक के बच्चे के तौर पर दर्शाने वाला प्रमाणपत्र यह प्रमाणित किया जाता है कि(दिल्ली पुलिस कार्मिक का नाम), रैंक
 उ. एकड़ और अधिक कृषि भूमि 1. 5 एकड़ और अधिक कृषि भूमि 11. 1000 वर्ग फुट और अधिक का आवासीय फ्लैट 111. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और अधिक का आवासीय प्लाट 11. अधिसूचित नगरपालिकाओं से भिन्न क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और अधिक का आवासीय प्लाट 2. श्री / श्रीमती / कुमारी	संबंधित जिला / शाखा के उपायुक्त पुलिस / अति. उपायुक्त पुलिस / सहायक आयुक्त पुलिस / मुख्यालय (अधिकारी का नाम और पदनाम साथ में मुहर) दिनांक:
जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) से संबंधित नहीं है । हस्ताक्षर, साथ में कार्यालय मुहर नाम पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ	अनुलग्नक—छ सेवारत रक्षा कार्मिक के लिए प्रमाणपत्र का फार्म मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (सं.)(रैंक) (नाम) सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि(तिथि) को पूरा कर लेगा।
*टिप्पणी 1: आय में सभी स्रोत शामिल हैं अर्थात वेतन, कृषि, बिजनेस, व्यवसाय आदि **टिप्पणी 2: इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त शब्द 'परिवार' में वह व्यक्ति, जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, उसके माता—पिता और भाई बहन जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है और पति—पत्नी तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल हैं।	(कमांडिंग अधिकारी के हस्ताक्षर) स्थानः दिनांकः DP/9147/19

SIZE: 25 cm (w) x 38 cm (h) x 5 Pages + 25 cm (w) x 12 cm (h) = sq.cm.